

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

**SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES**

[नवां सत्र
Ninth Session]



[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. XXXIII contains Nos. 1-10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building

Room No. FB-025.

Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in Eng'ish/Hindi]

विषय-सूची

अंक 6—सोमवार, 14 सितम्बर, 1964/23 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---------------|--|--------|
| 147 | डा० जे० बी० नारलीकर | 573—75 |
| 148 | नेहरू स्मारक निधि | 575—77 |
| 149 | स्वर्गीय प्रधान मंत्री का निवास स्थान | 578—8 |
| 150 | कलकत्ता—न्यूजीलैंड टैलैक्स सेवा | 584—85 |
| 151 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य का सुधार करने का प्रस्ताव | 585—90 |
| 153 | हल्के टैंकों का निर्माण | 590—91 |
| 155 | विकर्स मीडियम टैंक | 591—93 |
| 154 | भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना | 593—96 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---------------|---|--------|
| 156 | तकनीकी कर्मचारियों में बेरोजगारी | 596—97 |
| 157 | चीन द्वारा भूटानी गांवों पर कब्जा | 597 |
| 158 | लाओस संकट | 598—99 |
| 159 | एच० एफ०—24 जेट विमान | 599 |
| 160 | स्वर्गीय प्रधान मंत्री की शव-यात्रा के बारे में प्रसारण | 600 |
| 161 | इंजीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड | 600—01 |
| 162 | अफ्रीकी—एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजनाएँ | 601 |
| 163 | सरकारी उपक्रमों में उपभोक्ता सहकारी स्टोर | 601—02 |
| 164 | सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का निर्माण | 602 |
| 165 | टस्कर परियोजना | 602 |
| 166 | जंजीबार में भारतीय व्यापारी | 603 |
| 167 | त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना | 603 |
| 168 | प्रादेशिक सेना | 603—04 |
| 169 | कलकत्ता पत्तन | 604 |

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात को द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 6.—*Monday, September 14, 1964/Bhadra 23, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

| <i>*Starred Questions Nos.</i> | <i>Subject</i> | <i>PAGES</i> |
|--|--|--------------|
| 147 | Dr. J. V. Narlikar | 573—75 |
| 148 | Nehru Memorial Fund | 575—77 |
| 149 | Late Prime Minister's Residence | 578—84 |
| 150 | Calcutta-New Zealand Telex Service | 584—85 |
| 151 | Proposals for streamlining work of Ministry of I. & B. | 585—90 |
| 153 | Manufacture of Light Tanks | 590—91 |
| 155 | Vicker's Medium Tank | 591—93 |
| 154 | I.A.F. Plane Crash | 593—96 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

| <i>Starred Questions Nos.</i> | <i>Subject</i> | <i>PAGES</i> |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 156 | Unemployment among Technical Personnel | 596—97 |
| 157 | Occupation of Bhutanese Villages by China | 597 |
| 158 | Laotian Crisis | 598—99 |
| 159 | H.F.-24 Jet | 599 |
| 160 | Coverage of Late Prime Minister's Funeral Procession | 600 |
| 161 | Wage Board for Engineering Industry | 600—01 |
| 162 | Economic Development Plans of Afro-Asian Countries | 601 |
| 163 | Consumer Cooperative Stores in Public Undertakings | 601—02 |
| 164 | Production of Supersonic Fighters | 602 |
| 165 | Tusker Project | 602 |
| 166 | Indian Traders in Zanzibar | 603 |
| 167 | Pak Firing on Tripura Border | 603 |
| 168 | Territorial Army | 603—04 |
| 169 | Calcutta Port | 604 |

***The sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---------------|--|--------|
| 170 | भारतीय वायु सेना के विमानों के दुर्घटना सम्बन्धी जांच समिति | 605 |
| 171 | भारत तथा पाकिस्तान के फील्ड कमांडरों की बैठक | 605 |
| 172 | चापुई खा : कोयला खान | 605-06 |
| 173 | साइप्रस की स्थिति | 606 |
| 174 | संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना | 606-07 |
| 175 | बैंक कर्मचारियों का आन्दोलन | 607 |
| 176 | इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत | 608 |

अतारांकित

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---------------|---|--------|
| 469 | राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तर | 608 |
| 470 | सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर | 609 |
| 471 | प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग | 609 |
| 472 | उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो सेट | 609-10 |
| 473 | उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार | 610 |
| 474 | उड़ीसा में सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों के संस्थान | 610-11 |
| 475 | राजस्थान में बेरोजगार प्रविधिक कर्मचारी | 611 |
| 476 | राजस्थान में महिलाओं के लिये रोजगार | 611-12 |
| 477 | पनवेलके पास हथियारों का कारखाना | 612 |
| 478 | आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति | 612 |
| 479 | लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त का भाषण | 613 |
| 480 | वायरलैस उपकरण का उत्पादन | 613-14 |
| 481 | मनाली-उपूसी सड़क | 614 |
| 482 | गोआ में नया नौसेना वायु पत्तन | 614 |
| 483 | राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला | 615 |
| 484 | मलय भाषा रेडियो सेवा | 615 |
| 485 | एम्प्लीफोन | 615 |
| 486 | भूटान में गुप्त रेडियो | 616 |
| 487 | लोक संगीत वाद्यों का शब्दकोष | 616 |
| 488 | आयुध कारखानों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस | 616-17 |
| 489 | दूतावास भवन | 617 |
| 490 | संसद्-सदस्यों के शिष्टमंडल तथा मंत्रियों के दौरे | 618 |
| 491 | सरकारी इमारतों में घड़ियां तथा घंटियां | 619 |
| 492 | गोला बारूद कारखानों में अधिक समय काम करने का भत्ता | 619-20 |
| 493 | अभ्रक खनिकों के लिये प्रोत्साहन लाभांश योजना | 620 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

** Starred
Questions*

| <i>Nos.</i> | <i>Subject</i> | <i>PAGES</i> |
|-------------|--|--------------|
| 170 | Enquiry Committee on I.A.F. Plane Crashes | 605 |
| 171 | Meeting between Field Commanders of India and Pakistan | 605 |
| 172 | Chapui Khas Colliery | 605-36 |
| 173 | Situation in Cyprus | 606 |
| 174 | Firing by Pakistanis on U. N. Observers | 606-07 |
| 175 | Bank Employees' Agitation | 607 |
| 176 | Indian Ambassador in Indonesia | 608 |

*Unstarred
Questions*
Nos.

| | | |
|-----|--|--------|
| 469 | Employment Exchanges in Rajasthan | 608 |
| 470 | Sainik School, Bhubaneshwar | 609 |
| 471 | Defence Production Industries | 609 |
| 472 | Radio Sets for Rural Areas of Orissa | 600-10 |
| 473 | Employment for S. Cs. & S. Ts. in Orissa | 610 |
| 474 | Public and Private Sector Establishments in Orissa | 160-11 |
| 475 | Unemployed Technical Personnel in Rajasthan | 611 |
| 476 | Employment for Women in Rajasthan | 611-12 |
| 477 | Arms Factory near Panwel | 612 |
| 478 | Unemployed S. C. and S. T. in Andhra Pradesh | 612 |
| 479 | Speech of Indian High Commissioner in Ceylon | 613 |
| 480 | Production of Wireless Equipment | 613-14 |
| 481 | Manali-Upshi Road | 614 |
| 482 | New Naval Air Station in Goa | 614 |
| 483 | N.D.A., Khadakavasla | 615 |
| 484 | Malay Language Radio Service | 615 |
| 485 | Ampliphone | 615 |
| 486 | Pirate Radios in Bhutan | 616 |
| 487 | Dictionary of Folk Music Instruments | 616 |
| 488 | Incentive Bonus to Ordnance Factory Workers | 616-17 |
| 489 | Embassy Buildings | 617 |
| 490 | M.P.'s. Delegations and Tours by Ministers | 618 |
| 491 | Clocks and Bells in Government Buildings | 619 |
| 492 | Overtime Allowances in Ordnance Factories | 619-20 |
| 493 | Incentive Bonus Scheme for Mica Miners | 620 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

विषय

पृष्ठ

| | | |
|-----|--|--------|
| 494 | पाकिस्तान द्वारा नागाओं को शस्त्रों का संभरण | 620-21 |
| 495 | विमान वाहक "विक्रान्त" | 621 |
| 496 | एवरो-748 | 621 |
| 497 | ब्रिटेन में भारतीय | 622 |
| 498 | जबलपुर में 'कारीगर स्कूल' | 622 |
| 499 | नेफा का विकास | 622-23 |
| 500 | भारतीय मिशनों में हिन्दी का प्रयोग | 623 |
| 501 | आयुध कारखाने | 623 |
| 502 | घरेलू नौकर | 624 |
| 503 | डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर | 624 |
| 504 | दक्षिण रोडेशिया में रंग भेद | 624 |
| 505 | विधि मंत्री का विदेश दौरा | 624-25 |
| 506 | ए० एस० सी० सेंटर, अल्वर | 625 |
| 507 | कनाडा को वैज्ञानिक शिष्टमंडल | 625-26 |
| 508 | विमान दुर्घटना | 626 |
| 509 | छावनियों में सफाई कर्मचारी | 626 |
| 510 | विमान दुर्घटनायें | 626-27 |
| 511 | रेडियो फोरम | 627 |
| 512 | प्रतिरक्षा के लिये योजना संस्था | 627 |
| 513 | चेकोस्लोवाकिया में फिल्म समारोह | 628 |
| 514 | जवानों के लिये भूमि | 628 |
| 515 | हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट | 628-29 |
| 516 | आयुध कारखाने के कर्मचारी | 630 |
| 517 | शिक्षित बेरोजगार | 630-31 |
| 518 | उत्तर प्रदेश में बेकार तकनीकी कर्मचारी | 632 |
| 519 | उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति | 632 |
| 520 | माइक्रो-वव संचार प्रणाली | 632-33 |
| 521 | टैंकों का निर्माण | 633 |
| 522 | "निसान" जीपों का निर्माण | 633 |
| 523 | तोपखाना केन्द्र | 633-34 |
| 524 | परमाणु बम | 634 |
| 525 | सेना में अनुसूचित जाति के लोग | 634 |
| 526 | डाक की चोरियां | 635 |
| 527 | आकाशवाणी द्वारा गांधी जी की जीवन घटनाओं सम्बन्धी रिकार्ड तैयार किया जाना | 635 |
| 528 | लंका में माल बोटों के भारतीय मालिक | 636 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--*contd.*

*Unstarred
Questions*

| <i>Nos.</i> | <i>Subject</i> | <i>PAGES</i> |
|-------------|--|--------------|
| 494 | Supply of Arms to Nagas by Pakistan | 620-21 |
| 495 | Aircraft Carrier 'Vikrant' | 621 |
| 496 | Avro-748 | 621 |
| 497 | Indians in Britain | 622 |
| 498 | Artisans' School at Jabalpur | 622 |
| 499 | Development of N.E.F.A. | 622-23 |
| 500 | Use of Hindi in Indian Missions | 623 |
| 501 | Ordnance Factories | 623 |
| 502 | Domestic Servants | 624 |
| 503 | Quarters for P. & T. Staff | 624 |
| 504 | Colour Bar in S. Rhodesia | 624 |
| 505 | Law Minister's Visit abroad | 624-25 |
| 506 | A.S.C. Centre, Alwar | 625 |
| 507 | Scientists' Delegation to Canada | 625-26 |
| 508 | Flying Accident | 626 |
| 509 | Sanitary Staff in Cantonments | 626 |
| 510 | Air Crashes | 626-27 |
| 511 | Radio Forums | 627 |
| 512 | Planning Body for Defence | 627 |
| 513 | Film Festival in Czechoslovakia | 628 |
| 514 | Land for Jawans | 628 |
| 515 | Himalayan Mountaineering Institute | 628-29 |
| 516 | Employees in Ordnance Factories | 630 |
| 517 | Educated Unemployed | 630-31 |
| 518 | Technical Personnel Unemployed in U.P. | 632 |
| 519 | Educated Unemployed in U.P. | 632 |
| 520 | Micro-wave Communication System | 632-33 |
| 521 | Manufacture of Tanks | 633 |
| 522 | Manufacture of Nissan Jeeps | 633 |
| 523 | Artillery Centre | 633-34 |
| 524 | Atom Bomb | 634 |
| 525 | Scheduled Castes in Army | 634 |
| 526 | Thefts of Dak | 635 |
| 527 | A.I.R. Recordings on Gandhiji | 635 |
| 528 | Indian owners of Lighters in Ceylon | 636 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर— क्रमांक:

प्रतिरक्षा

| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|--|--------|
| 529 | प्रतिरक्षा एककों में भर्ती | 636 |
| 530 | राष्ट्रमंडल के सेनाध्यक्षों का सम्मेलन | 637 |
| 531 | श्रम अनुसन्धान संस्था | 637 |
| 532 | प्रतिरक्षा उत्पादन | 637-38 |
| 533 | पाक राष्ट्रजनों द्वारा भारतीयों का अपहरण | 638 |
| 534 | तटीय बैटरी | 638-39 |
| 535 | सैनिक स्कूल | 639 |
| 536 | मास्को में भारतीय दूतावास | 639 |
| 537 | वियतनाम | 640 |
| 538 | नागा विद्रोही | 640-41 |
| 539 | भारत की फिल्म संस्था | 641 |
| 540 | सैनिक स्कूल, पंचमढ़ी | 641 |
| 541 | विशेष स्टाम्प | 641-42 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | | 642-43 |
| विधेयक पर राय | | 643 |
| राज्य सभा से सन्देश | | 643 |
| औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— | | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया | | 644 |
| सदस्य की रिहाई | | 644 |
| सभा के कार्य के बारे में | | 644 |
| समिति के लिये निर्वाचन | | |
| प्राक्कलन समिति । | | 644-45 |
| कोर्ट आफ वार्ड्स (भारतीय रियासतों के शासक) विधेयक—पुरःस्थापित | | 645 |
| मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव. | | 645 |
| श्री हनुमन्तैया | | 645—47 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | | 647—49 |
| श्री खाडिलकर | | 649—51 |
| श्री अन्सार हरवानी | | 651—52 |
| डा० मा० श्री० अणे | | 652—53 |
| श्री राम सहाय पाण्डेय | | 653—54 |
| श्री काशी राम गुप्त | | 654—55 |
| श्री बाकर अली मिर्जा | | 655—56 |
| श्री अल्वारेस, | | 656—57 |
| श्री हरिश्चन्द्र माथुर | | 657—59 |
| श्री प्र० के० देव | | 659—61 |
| श्री विद्याचरण शुक्ल | | 661—62 |
| श्री अ० प्र० शर्मा | | 662—63 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

*Unstarred
Questions*
Nos.

Subject

PAGES

| | | |
|--|--|--------|
| 529 | Recruitments to Defence Units | 636 |
| 530 | Conference of Commonwealth Chiefs of Staff | 637 |
| 531 | Labour Research Institute | 637 |
| 532 | Defence Production | 637-38 |
| 533 | Indians Kidnapped by Pak. Nationals | 638 |
| 534 | Coastal Batteries | 638-39 |
| 535 | Sainik School | 639 |
| 536 | Indian Embassy at Moscow | 639 |
| 537 | Vietnam | 640 |
| 538 | Naga Hostiles | 640-41 |
| 539 | Film Institute of India | 641 |
| 540 | Sainik School, Pachmarhi | 641 |
| 541 | Special Stamps | 641-42 |
| Papers laid on the Table | | 642-43 |
| Opinions on Bill | | 643 |
| Message from Rajya Sabha | | 643 |
| Industrial Disputes (Amendment) Bill laid on the Table as passed by Rajya Sabha | | 644 |
| Release of Member | | 644 |
| Re : Business of the House | | 644-45 |
| Election to Committee | | 645 |
| Estimates Committee | | 645 |
| Court of Wards (Rulers of Indian States) Bill—Introduced | | 645 |
| Motion of No confidence in the Council of Ministers | | 645 |
| | Shri Hanumanthaiya | 645-47 |
| | Shri H. N. Mukerjee | 647-49 |
| | Shri Khadilkar | 649-51 |
| | Shri Ansar Harvani | 651-62 |
| | Dr. M. S. Aney | 652-53 |
| | Shri R. S. Pandey | 653-54 |
| | Shri Kashi Ram Gupta | 654-55 |
| | Shri Bakar Ali Mirza | 655-56 |
| | Shri Peter Alvares | 656-57 |
| | Shri Harish Chandra Mathur | 657-59 |
| | Shri P. K. Deo | 659-61 |
| | Shri Vidya Charan Shukla | 661-62 |
| | Shri A. P. Sharma | 662-63 |

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK-SABHA

सोमवार, 14 सितम्बर, 1964/23 भाद्र, 1886 (शक)

Monday, September 14, 1964/Bhadra 23, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the chair }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

डा० जे० बी० नारलीकर

+

- * 147. { श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० के० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि एक भारतीय वैज्ञानिक डा० जयन्त विष्णु नारलीकर को भी गुरुत्वाकर्षण-शक्ति के बारे में एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत करने के लिये सम्मानित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वैज्ञानिक की सेवाओं का, उनको उचित कार्य देकर, उपयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या उनको कोई पारितोषिक दिये जाने का भी प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) जी हां ।

(ख) शिक्षा मंत्री को इस मामले की जानकारी है और वह इस में विशेष रुचि ले रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Have Government provided adequate press facilities etc. to this gentleman for developing his newly propounded theory of gravity to the effect that the creatures on the earth will burn down due to the heat of the sun if the planetary system between the earth and sun ceases to exist ?

Shri Lalit Sen : Government are aware of the discovery made by this Indian scientist and of the paper laid by him before the Royal Society. The Indian Council of Cultural Research has on the advice of Government invited him to come to India for delivering some lectures in different Indian Universities. He has promised to come here in January or February, 1965.

Shri Yashpal Singh : Has he been educated in any Indian University or in any University abroad ?

Shri Lalit Sen : As far as we know, he obtained his B. Sc. Degree from Benaras University and thereafter continued his studies in Kings College of Cambridge University.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी ले ली है कि क्या डा० नारलीकर जैसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक को भारत में रखने के लिये अनुकूल संस्थात्मक सुविधायें तथा विद्या सम्बन्धी वातावरण विद्यमान है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : डा० नारलीकर को यहां पर आने के लिये आमंत्रित किया गया है। जब वह यहां पर आयेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इन मामलों पर उनसे चर्चा करेंगे। जो कुछ भी सुविधायें हम सरलतापूर्वक दे सकते हैं हम देने के लिये सहमत हैं।

श्री कपूर सिंह : ये तो व्यक्तिगत तथा संस्थात्मक सुविधायें रहीं। मैंने तो विद्यात्मक वातावरण के सम्बन्ध में भी पूछा था। क्या इस बारे में भी उनके साथ चर्चा की जायेगी तथा इसकी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : स्वभावतः ही बहुत सी बातों पर चर्चा करनी होगी। उनकी इच्छा को भी जानना होगा।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार इस बात के परिणामों पर विचार नहीं कर रही है कि, डा० नारलीकर द्वारा प्राप्त की गई सफलता के परिणामस्वरूप, इस देश में वैज्ञानिक प्रगति के लिये सरकार द्वारा भारी अंशदान किया जाना आवश्यक होगा और यह कि भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान तीव्रतापूर्वक किये जाने चाहियें ? सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है और डा० नारलीकर की सेवाओं को किस प्रकार से उपयोग में लाने का उनका विचार है ?

श्री ललित सेन : मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्रालय को इस मामले की जानकारी है। शिक्षा मंत्री इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् उन्हें भारत आने का निमंत्रण दे चुकी है जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। जब वह भारत आयेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पर भी उनके साथ चर्चा की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार इस बात को समझती है कि डा० नारलीकर और उनसे पहिले के सुविख्यात ज्योति-भौतिकीशास्त्री डा० चन्द्रशेखर जैसे वैज्ञानिक, जिन्होंने विज्ञान के लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इस मूल प्रश्न में उल्लिखित नौकरियों अथवा पुरस्कारों

को पाने के इतने इच्छुक नहीं हैं जितने कि वे अपनी गवेषणा को जारी रखने के लिये पर्याप्त तथा पूर्ण सुविधाओं और उसके लिये उचित वातावरण के इच्छुक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लिये उन सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? क्योंकि डा० चन्द्रशेखर तो अभी तक भी भारत वापस नहीं आये हैं । वह 20 वर्षों से विदेश में हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ? क्या उन्होंने इस दिशा में कुछ भी किया है ? और निकट भविष्य में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर प्रधान मंत्री महोदय दे चुके हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने कहा था कि डा० नारलीकर के भारत आने पर उनके साथ इस सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी । क्या भारत सरकार ने गत इतने वर्षों के दौरान इस मामले में कुछ भी सोचा है ? अथवा किसी बात के होने के पश्चात ही हमारी सरकार जागती है ?

श्री जोकीम आलवा : डा० नारलीकर जैसे व्यक्तियों को भारत में ही खोज निकालने में क्या कठिनाई है ? क्या यह बात है कि हमारे प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों और गवेषणाकर्ताओं को प्रसिद्धि मिलने देने के लिये तैयार नहीं हैं अथवा यह बात है कि हमारे देश में कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी नहीं हैं या बहुत ही कम हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी नहीं समझा । क्या वह अपना प्रश्न फिर से पूछेंगे ?

श्री जोकीम आलवा : इसका क्या कारण है कि डा० नारलीकर जैसे व्यक्तियों की खोज हम भारत में ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें इसलिये विदेशों में जाना पड़ता है कि वहां के प्राध्यापक उनकी प्रतिभा को पहिचान सकें ? क्या इसका कारण यह है कि हमारे प्राध्यापक यहां पर कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थियों को अनुसन्धानों के लिये प्रसिद्धि देने को तत्पर नहीं होते और अनुसन्धान के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं तथा ऐसे विद्यार्थियों का पता ही नहीं लगने देते ?

अध्यक्ष महोदय : वह वैकल्पिक बातों की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री बी० चं० शर्मा : क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का एक ऐसा पृथक् विभाग बनाने का है जिसमें कि असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा वाले व्यक्ति रखे जायें और यदि हां, तो डा० नारलीकर, डा० खुराना और डा० चन्द्रशेखर जैसे असाधारण रूप से कुशाग्र बुद्धि व्यक्तियों को रखने के लिए कब वह विभाग खोला जायेगा ?

श्री ललित सेन : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है ।

नेहरू स्मारक निधि

+

* 148. { श्री रामेश्वर टांडिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जगबेब सिंह सिद्धांती :

श्री हुकम चन्द कछवाय :
 श्री गोकुलानन्द महन्ती :
 श्री इ० मधुसूदन राव :
 श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि एक नेहरू स्मारक कोष स्थापित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो इस कोष के धन को किस प्रकार व्यय किया जायेगा;
- (ग) अब तक इस कोष में कुल कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है; और
- (घ) इस कोष में धन प्राप्त करने के लिये कितने बैंकों को अधिकार दिया गया है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) और (ख). जी हां। 27 जून 1964 को राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में अंशदान देने के लिये एक अपील की थी। इस निधि का लक्ष्य उन उद्देश्यों की पूर्ति करना है जो जवाहर लाल जी को अति प्रिय थे। इस निधि के लिये एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति तथा सदस्य अनेक लब्ध-प्रतिष्ठ नागरिक हैं। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति ने एक न्यास (ट्रस्ट) स्थापित करने का निर्णय किया है और एक कार्यक्रम उप-समिति भी बनाई है। यह उप-समिति उस निधि के उपयोग के लिये ठोस योजनायें बनायेगी।

(ग) स्मारक निधि के प्राधिकारियों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 14 अगस्त, 1964 तक आठ लाख चौतीस हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(घ) अभी तक उन्नीस।

श्री रामेश्वर टांटिया : देश के एक महान नेता की स्मारक निधि में इतनी कम धनराशि आने के क्या कारण हैं; क्या यह इस कारण है कि इसके लिये गलत मार्ग अपनाया गया है और यदि हां, तो एक अच्छी मात्रा में धनराशि एकत्रित करने के लिये सरकार किन उपायों को अपनाने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : माननीय सदस्य को यह बात मालूम होनी चाहिये कि यह समिति तथा उप-समिति भी हाल ही में बनाई गई हैं। चन्दा उप-समिति को तो अपना कार्य अभी आरम्भ करना है। 17 तारीख को उसकी बैठक होगी और उसमें कुछ लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा की जायेगी। दूसरे, सरकार सीधे ही यह चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकती। इस बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस स्मारक निधि में चन्दा देने के लिये हमें लोगों तथा हार्दिक तथा पूर्ण सहयोग मिलेगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : अब तक किसी एक फर्म या कम्पनी से सब से अधिक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं सब से अधिक धनराशि को कोई महत्व नहीं देता। एक रुपये का भी इतना ही महत्व है जितना कि एक लाख रुपये का।

श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या चन्दे को बढ़ाने के लिये कोई संस्था स्थापित की गई है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां।

Shri Prakash Vir Shastri : As we have been receiving reports of misuse of money belonging to Gandhi Memorial Fund and Kasturba Memorial Fund, have Government made any arrangements from the very beginning to ensure that the funds are not misused in this case and will the statements regarding this Fund be laid on the Table of the House ?

Mr. Speaker : How could Government do that ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Government are not at all concerned with this. But Shri Prakash Vir Shastri might be knowing this fact more than one that not many cases of the misuse of the amounts of the Funds were heard. Whatever it may be, we wish and try to see that the amounts received in the Fund are properly utilized and not misused.

Shri Yashpal Singh : How is it that only big industrialists are contributing to this Memorial Fund ? Why have ordinary peasants and labourers not been approached for this ?

Mr. Speaker : For this, you may ask either of them.

Shri Hukam Chand Karchhavaia : Have Government any scheme to take into this Fund the illegal earnings of the people holding high offices in the country or in the Congress ?

Mr. Speaker : There is no scheme of the Government which you may refer time and again

Shri Hukam Chand Kachhavaia : Will the amounts unlawfully acquired by Shri Kairon, Shri Khadiwala and others also be taken by the Government into his Fund ?

Mr. Speaker : We are not discussing the expectations at present.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it due to very meagre amount contributed to this fund, that the Govt. have decided to exempt from income tax the contributions made to this Fund by Companies and Capitalists ?

Mr. Speaker : He has said that the contributions so far received are not meagre, they have just started coming .

श्री बसुमतारी : मैं समझता हूँ कि केवल एक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने चन्दा देने के लिए लोगों से अपील की है। सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि अन्य समाचारपत्र भी ऐसी अपील जारी करे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत से अखबारों ने यह अपील जारी की है। जैसा कि मैं प्रारम्भ में ही कहा था हमें चन्दा एकत्रित करने का कार्य अभी तो आरम्भ करना है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस सम्बन्ध में कुछ बताया गया है कि इस निधि से किस प्रकार का व्यय किया जायेगा और क्या एकत्रित धनराशि बच्चों के कल्याण और विकलांगों की शिक्षा पर व्यय की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय समिति करेगी।

श्री विश्वनाथ राय : स्वर्गीय महान नेता के प्रति जनसाधारण ने जो अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त किया है उसको देखते हुए क्या जिला स्तर पर कोई संस्था स्थापित की जायेगी जिससे कि साधारण किसान और अन्य लोग

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना समिति का काम है।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री का निवास-स्थान

+

- *149. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
 श्री विश्वाम प्रसाद :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
 श्री रा० गि० दुबे :
 श्री पें० वेंकटामुब्बया :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री घवन :
 श्री भी० प्र० यादव :
 श्री बिशनचन्द्र सेठ :
 श्री बागड़ी :
 श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
 श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री अ० सि० सहगल :
 श्री प्र० के० देव :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री हरि विष्णु कामत :
 श्री इ० मधसूदन राव :
 श्री किशन पटनायक :
 श्रीमती रेणुका बड़कटकी
 श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार स्वर्गीय प्रधान मंत्री के तं न मूर्ति निवास स्थान को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री ललित सेन) : सरकार ने यह निर्णय किया है कि तं न-मूर्ति भवन जवाहर लाल जी की पावन स्मृति में समर्पित किया जायेगा। इसका उपोेग मुख्यतया एक संग्रहालय के रूप में किया जायेगा। जिसमें पुस्तकालय भी होगा। संग्रहालय एवं पुस्तकालय सम्बंधी इन प्रस्तावों को शिक्षा मंत्रालय सरकार की प्रायोजना के रूप में कार्यान्वित करेगा। भवन का दक्षिणी भाग नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन सम्बंधी संग्रहालय के लिए और उत्तरी भाग प्रस्तावित पुस्तकालय के लिये उपयोग में लाया जायेगा। भवन के उत्तरी भाग के कुछ छोटे कमरों को प्रागन्तुक अनुसंधान करने वाले छात्रों और प्राध्यापकों के ठहरने के लिए काम में लाया जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the total area occupied by the late Prime Minister's residence and whether Government have made any assessment of its total value etc. before taking the decision to convert it into a memorial ?

श्री ललित सेन : इस प्रश्न के लिये मुझे विधिवत सूचना दी जाये।

Shri Prakash Vir Shastri: In the sentimental will written by our late Prime Minister, which was also published in newspapers, he has nowhere expressed the view that his residence should be utilized as his memorial. In view of the fact that the Government had not taken over the place of Gandhiji's assassination for converting it into a national memorial and that our late Prime Minister's memorial "Shantivan" is being constructed near Rajghat, is it not setting a wrong precedent to reserve such a huge property for a memorial ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): So far as Pandit Jawaharlal Nehru was concerned, he might never have thought of it nor has he mentioned anything in this regard, but it is a decision taken by us. We thought over it and Government also considered this issue and it was decided to convert that place into a national memorial.

Shri Hari Vishnu Kamath : It is quite a wrong decision (**Interruptions**)

Shri Lal Bahadur Shastri : This may be your opinion and of many others. But when we and the Government considered this we found it proper and accordingly a decision was taken.

Shri Yashpal Singh : As 'Anand Bhawan' at Allhabad has got the unique honour that in it. Our late Prime Minister passed his days of childhood, grew up, played and studied, what are the reasons for not nationalising the same, whereas a place where he was merely performing his official duties is being converted into a national memorial ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I may submit only this much in this regard that the late Prime Minister has in his will stated that the 'Anand Bhawan' may be given to the nation for national use.

श्री नाथ पाई : क्या प्रधान मंत्री महोदय का यह विचार है कि इस प्रकार का निर्णय लेने के लिये यह बहुत ही अच्छा रहा होता कि सरकार इस प्रकार का एक प्रशासनिक आदेश न निकालती जैसा कि उसने अब किया है और वह अन्धानुयायी बन कर यह कार्य न करती अपितु उस में इस मामले पर लोगों की राय ली होती और संसद का भी राय ली होती ; दूसरे, क्या प्रधान मंत्री यह नहीं समझते कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री की याद के लिये एक उपयुक्त स्मारक यह रहता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के निवास स्थान को आने वाले सभी प्रधान मंत्रियों का सरकारी निवासस्थान बना रहने दिया जाता जिससे कि वे लोग उससे प्रेरणा लेते, ताकि उन्हें इसका ज्ञान रहता कि उत्तराधिकार में उन्हें कितना भारी उत्तरदायित्व निभाने के लिये मिला है और जितने भी समय वे उस घर में रहते वे उससे प्रेरणा लेते रहते ? क्या इस पहलू पर भी विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई जानकारी नहीं मांगा गई है ।

श्री नाथपाई : प्रश्न यह है कि क्या इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखा गया है ? इस प्रथम प्रश्न का क्या उत्तर है कि क्या जनता की राय ली गई थी ? श्रीमन्, क्या यह एक प्रश्न नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि क्या जनता की राय जान ली गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : संसद सदस्यों की राय भी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वास्तव में, औपचारिक रूप में जनता की राय नहीं ली गई थी । परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त लगभग सभी ने सामान्यतया इसका स्वागत किया है । (अन्तर्बाधा)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस ढंग में कुछ सदस्यों का इतनी जोर से 'हां' या 'ना' कहना उचित नहीं है ।

श्री नाथपाई : क्या यह निर्णय अन्तिम है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका निर्णय नहीं कर सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस पर पुनर्विलोकन अथवा पुनर्विचार किया जा सकता है ।
कई माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें । क्या यह निर्णय अन्तिम है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Before taking this decision has this aspect been considered by the Government that in this way they are not establishing a bad precedent ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Anyhow, I do not find any wrong precedent etc. in this and I may also submit that late Pt. Jawaharlal Nehru was not only a Prime Minister of our country but he was also a guiding spirit before independence and he carried the nation forward. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्यों को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये । मैं केवल प्रश्न करने की अनुमति देता हूँ । इससे आगे अन्य बातों की नहीं ।

Shri Rameshwar Tantia : May I know whether any scheme will be formulated for constructing a museum for children at that place since late Shri Nehru was a great lover of children ?

Shri Lal Bahadur Shastri : It has been considered broadly as to how that place should be utilised, but a Memorial Committee has been set up for this purpose and that Committee will consider the question of constructing a special item for children.

Shri Bagri : The cost of the residence of late Prime Minister is about Rs. 4 crores while the cost of the place where Gandhiji was assassinated is probably about Rs. 8 lakhs. The late Prime Minister died his natural death, while Gandhiji, the Father of the nation, was martyred. When the Government have decided to nationalise the residence of late Prime Minister worth Rs. 4 crores for converting it into a national memorial, are they not considering to nationalise the place where Gandhiji was assassinated and which costs Rs. 8 lakhs only ; if not, for what reasons ?

Mr. Speaker : Though this question is not relevant here, it would be better if it is answered since the hon. Member has given two or three notices for it.

Shri Lal Bahadur Shastri : The residence of late Pandit Jawaharlal Nehru is a Government property. while the place of Gandhiji's assassination was a private house.

Shri Ram Sewak Yadav : It may be acquired.

Shri Lal Bahadur Shastri : You may kindly listen to me. Since it was a private house, late Pandit Nehru had enough of correspondence regarding it and Sardar Patel also discussed the matter with Shri Ghan Shyam Das Birla. As far as possible, it was considered as to whether it would be proper or not to acquire that House against his wishes. Both Panditji and Sardar Patel have stated in the correspondence that the house should not be acquired forcibly or against the wishes of Shri Birla. I am not aware of the ideas of other Ministers sitting here. But it was decided that the place where Gandhiji was assassinated may be separated from the remaining portion of the house and a separate way may be provided to reach it. It was agreed to by Shri Birla and he made the required arrangements. Shri Birla stated that though he would obey every order of the Government but it would be against his wishes and feelings to shift from the place where Gandhiji was assassinated and other things happened and, nevertheless, he was prepared to make other required arrangements. Everything asked for has been done by him.

Shri Bagri : Sir, on a point of order. Is it proper to hurt the feelings of the people of entire nation just to safeguard the feelings and wishes of one person ? We are blemishing the nation by not acquiring the place of Gandhiji's martyr and the coming generation would never excuse us for this. Could it ever be deemed proper that a place where the Father of the Nation was assassinated continued to be owned by a capitalist and the nation did not have enough power to acquire it by law or by giving compensation ? Have the Government taken a right decision in this regard ? I wish that you may kindly give your decision on it.

Mr. Speaker : It would be given at due hour. Hon. Members may kindly resume his seat.

Shri Bagri : I am sitting. But I.....

Mr. Speaker : I cannot allow this question.

Shri Bagri : This is a very important question.

Mr. Speaker : This is not relevant, but since you gave a notice.....

Shri Bagri : In the country.....

Mr. Speaker : The hon. Member may kindly resume his seat. The leader of the party may tell him that I am not going to give any decision at the moment.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लेते समय सरकार ने स्थान के ऐतिहासिक महत्व को भी ध्यान में रखा था जिससे कि सम्पूर्ण राष्ट्र ने प्रेरणा ली थी और क्या इस बात को भी ध्यान में रखा था कि राष्ट्र ने लोगों की निष्ठा तथा श्रद्धा स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के इलाहाबाद स्थित निवास स्थान के प्रति है, उनके दिल्ली स्थित निवास स्थान के प्रति नहीं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इलाहाबाद के मकान के बारे में स्वयं ही उन्होंने इस बात का निर्णय कर लिया था कि वह राष्ट्र को दे दिया जाये। जीवन के अन्तिम 16 वर्षों के समस्त कार्यकलाप अपने दिल्ली स्थिति निवासस्थान में ही उन्होंने सम्पन्न किये थे और सरकार यह महसूस करती थी कि इस दिशा में उसे यथासम्भव शीघ्र कुछ करना चाहिये। हमने इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मेरे विचार में सरकार का निर्णय ठीक ही है और हम उसे बदलने को तैयार नहीं हैं।

श्री प्र० चं० बहम्रा : क्या यह सच नहीं है कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित अपने मकान में जाने से बहुत पहले ही गरिमा और महानता की उच्चतम सीमा पर पहुँच चुके थे और क्या यह भी सच नहीं है कि विदेशी शासकों द्वारा ईंटों और चूने से किसी विशेष प्रयोजन के लिये बनाई गई इस इमारत का उपयोग यदि एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए किया गया तो उसका समस्त उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं प्रश्न का केवल प्रथम भाग ही समझा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जितना वह समझ सके हैं उसका ही उत्तर दे दें।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य ने प्रश्न के प्रथम भाग में जो कुछ भी कहा है वह शत प्रतिशत ठीक है और मैं चाहता हूँ कि यहां पर बैठे सभी सदस्य उसके महत्व को समझें।

श्री प्र० क० देव : यह अनुरोध करते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति को सर्वोत्तम रूप में उनके अति प्रिय लोकतंत्र के सिद्धांतों को ऊंचा करके ही रखा जा सकता है और यहां पर एक मूर्ति की स्थापना करके अथवा अन्यत्र कहीं किसी भवन का संधारण करके नहीं, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या दिल्ली में स्थान के अभाव को देखते हुए सरकार का अपने निर्णय को बदलने का विचार है जिससे कि उस इमारत का किसी और उपयुक्त कार्य के लिये उपयोग किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत।

श्री प्र० क० देव : श्रीमन्, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जब कि प्रधान मंत्री महोदय कह चुके हैं कि अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है तो फिर भी मैं उसे बदलने के लिये उनसे किस प्रकार कह सकता हूँ ?

श्री हरि विष्णु कामत : उन बातों के अतिरिक्त जो कि मेरे सहयोगी श्री नाथपाई और सदन के दूसरे पक्ष के मेरे अन्य कुछ मित्रों ने कहीं है, क्या यह सच है कि सुरक्षा विभाग ने भी यह कहा है अथवा सुझाव दिया है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री का मकान सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रधान मंत्री के वर्तमान निवासस्थान से कहीं अधिक अच्छा है और यदि हां, तो क्या इस मामले पर उस दृष्टिकोण से भी विचार किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री का कहना है कि सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या निर्णय करने से पूर्व इस विशेष प्रश्न पर भी विचार किया गया था ?

श्री स० मो० बनर्जी : श्री सन्याल की हत्या के बाद इसे वहां से किसी अन्य स्थान पर ले जाना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, आपने यह भी कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य प्रबंध भी होने चाहियें (अन्तर्बाधाएं)

श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रधान मंत्री के लिये कुछ सुरक्षा प्रबंध आवश्यक है ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभी प्रबन्ध; केवल कुछ नहीं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ । इसलिये मैं सरलता से नहीं ...

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु आप प्रधान मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वह उत्तर दे रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : एक देश का प्रधान मंत्री यह कैसे कह सकता है कि वह छोटा आदमी है ? (अन्तर्बाधाएं)

Shri Bagri : What is....

अध्यक्ष महोदय: वह कृपया बैठ जायें । मैं बहुत देर से उनकी यह बात बरदाश्त कर रहा हूँ । If he goes on speaking in this manner, we can not proceed. If he is bent upon this, let it be decided first. जब कोई माननीय सदस्य अथवा वक्ता बोल रहा हो तो अन्य सदस्यों को बैठ जाना चाहिये । उन्हें खड़े और बोलते रहना नहीं चाहिये । इस तरीके से हम सभा का कार्य नहीं कर सकते । अब श्री राम सेवक यादव ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे जब कि कुछ अन्य सदस्य बीच में बोल उठे ।

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार यह कहती है कि अन्तिम निर्णय कर लिया गया है तो मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न उठ सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह अन्तिम निर्णय इस पहलू पर भी विचार करके किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं करना चाहते तो यह पूछना, कि क्या इस पहलू पर विचार किया गया था अथवा नहीं, संगत नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्हें परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : It is a practice all the world over to make a memorial at the birth place of a great leader. Are Government going to build a memorial at the birth place of late Pandit Jawahar Lal Nehru; if not the reasons therefor ? The Prime Minister just now said that according to the will left by the late Prime Minister that place has been announced as national property. What steps have been taken in that direction ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Decision has yet to be taken regarding the manner in which Anand Bhawan is to be used.

Shri Prakash Vir Shastri : It is there in the will of Pandit Ji. What decision is likely to be taken by you upon this ?

Shri Lal Bahadur Shastri : I know that I was coming to that. I wanted to save your time. As regards his birth place, Panditji was not born in Anand Bhawan. He was born at Allahabad in a house in the vicinity of Mohammed Ali Park. Do not stress on the birth place. But, regarding Anand Bhawan we are to take a decision in Consultation with U.P. Government.

Shri Ramsewak Yadav : Half of my question has not been answered. What steps are being taken for declaring it a national property ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार इस बात पर करुणामूलक और मानवतावादी आधारों पर विचार करेगी कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री का वस्तुतः घटनापूर्ण समय इस सदन में बीता है और इसलिये इस संसद् भवन की इमारत को स्वर्गीय प्रधान मंत्री की स्मृति में स्मारक बनाना उचित है और यदि नहीं तो उनके निवास स्थान को किन बातों को ध्यान में रख कर स्मारक बनाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति; हम बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं। सारा देश हमारी ओर ताक रहा है और विशेषतः दर्शक जो यहां बैठे हैं हमें देख रहे हैं। हमें ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहियें जो अन्य व्यक्तियों के लिये उपहास का विषय बनें।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरी सुनिये तो।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्रीमती रेड्डी।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : इन सब बातों को एक तरफ रख कर कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के प्रति हमारा अपार स्नेह था और श्री लाल बहादुर शास्त्री के इस कथन को कि वह बहुत छोटे आदमी हैं, जिस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्या प्रधान मंत्री के सरकारी निवास स्थान को स्मारक बना कर हम अच्छी मिसाल कायम करेंगे, क्योंकि कल को कोई भी राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री यह कह सकता है कि वह सरकारी निवास स्थान में नहीं रहना चाहता ? क्या संसार में कहीं और भी ऐसी मिसाल मिलती है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कलकत्ता-न्यूजीलैंड टेलिक्स सेवा

+

*150. { श्री रा० गि० बुबे :
श्री विश्वाम प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या यह सच है कि 1 जून, 1964 से कलकत्ता को न्यूजीलैंड से टेलिक्स सेवा द्वारा सम्बद्ध कर दिया गया है ; और

(ख) क्या ऐसा ही दूर-संचार सम्बन्ध बम्बई और अन्य महत्वपूर्ण नगरों के साथ भी स्थापित किया जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, 1 मई, 1964 से ।

(ख) विदेश संचार सेवा द्वारा विदेशों को, जिनमें न्यूजीलैण्ड भी शामिल है, चलायी जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय टैलेक्स सेवाएं बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता और नयी दिल्ली के ग्राहकों को पहले ही से उपलब्ध हैं । मद्रास के ग्राहकों को भी ऐसी ही सुविधाएं बहुत जल्दी सुलभ हो जायेंगी ।

श्री रा० गि० दुबे : इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री भगवती : इस परियोजना पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा क्योंकि यह केवल न्यूज लैण्ड के साथ भारत-ब्रिटिश सीधा टैलेक्स संपर्क का विस्तार है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य का सुधार करने का प्रस्ताव

+

* 115. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघबी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पें० बंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :
डा० पं० शा० देशमुख :
श्री विभूति मिश्र :
श्री द० ना० तिवारी :
श्री श्यामलाल सराफ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री बृजराज सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के कार्यवहन का निर्धारण करने तथा उसमें सुधार करने के संबंध में कोई विशेष कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद ही आभास दिया था कि इस मंत्रालय के मूल्यांकन की तथा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो विचाराधीन अथवा लागू किए गए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०— 3105/64]

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : प्रस्तावित समिति के निर्देश पदों में शामिल करने के लिये जो मामले विचाराधीन हैं व क्या हैं, इसके मूल्यों का क्षेत्र क्या होगा और क्या समिति को यह सिफारिश करने का भी अधिकार होगा कि प्रसारण कार्य को सार्वजनिक निगम के अधीन चलाया जाये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैं ने बताया यह मामला विचाराधीन है । हम एक पूर्णकालिक समिति चाहते हैं जो मंत्रालय के सभी विभागों की जांच करेगी । निर्देशपद अभी विचाराधीन है और शीघ्र ही उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या एक निगम बनाने का भी प्रस्ताव है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : समिति यदि चाहे तो इसका सुझाव दे सकती है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस देश में प्रसारण कार्य के विरुद्ध सामान्य शिकायत यह है कि यह दफ्तरशाहियों के हाथ में है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू और वैदेशिक प्रचार को क्षति पहुंची है । क्या सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और क्या यह मामला अग्रेतर मूल्यांकन और निर्धारण के लिये इस समिति को भेजा गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा कि मैं ने पहले बताया निर्देशपद यथासंभव व्यापक होंगे और समिति ही इन मामलों की जांच करेगी । यह कहना कि कार्यक्रमों का स्तर गिर गया है एक अपनी अपनी राय का मामला है । मैं ऐसा नहीं समझती ।

Shri M. L. Dwivedy : The various departments under the Ministry of Information and Broadcasting, such as A.I.R., P.I.B., Publicity Branch etc., have separate entity. May I know whether the Committee will constitute of specialists who will be able to advise on varied subjects ?

Shrimati Indira Gandhi : It will be our endeavour to include such persons as would go into the different aspects.

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहना कहां तक सच है कि अनेक विशेषज्ञों ने यह राय प्रकट की है कि समिति का बनाना कार्यवाही में देर करना होगा और यह कहां तक सच है कि हाल ही में की गई अधिकांश आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है, अपितु प्रतिकल प्रभाव वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा रची गई है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस सभा और समाचार पत्र, दोनों में सभी प्रकार की आलोचना की गई है । स्वभावतः मैं नहीं कह सकती कि इसमें से कितनी आलोचना द्वेष के कारण की गई है ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि आकाशवाणी की कार्यकुशलता और कार्य के बारे में मंत्रालय को बहुत से उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं। क्या उन चीजों को सभा पटल पर रखा जायेगा और यह बताया जायेगा कि उनमें से किन किन सुझावों को क्रियान्वित किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ बातें विवरण में पहले से ही दी हुई हैं और ज्यों ही समिति इस कार्य को ले कर आगे बढ़ेगी हम स्वभावतः सभा को इसकी जानकारी देते रहेंगे।

श्री सुबोध हंसवा : अंग्रेजी और अन्य राज्य भाषाओं में समाचार प्रसारण करने के अतिरिक्त क्या किसी बोली में भी समाचार प्रसारण करने का प्रबन्ध है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरा विचार है कि कई बोलियों में समाचार पहले से ही प्रसारित किये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : Are Government of India aware that most of the time of All India Radio is utilised by romantic songs and very little time is left for Defence and Development programmes? Can the 'Panch rangi' programme be replaced successfully by 'ek rangi veerta' programme?

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या यह समिति जन साधारण से संपर्क बढ़ाने के उपाय भी सुझायेगी जिस से कि एक ओर तो जनता को यह पता लग सके कि सरकार उनके कल्याण के लिये क्या कर रही है और दूसरी ओर सरकार लोगों के विचार जान सके ?

अध्यक्ष महोदय : सुझाव।

श्री हरि विष्णु कामत : जब कि मंत्री ने हाल ही में कहा कि आकाशवाणी में अंग्रेजों के समय के तौर तरीके, कार्य प्रणाली और ढांचे को स्वतन्त्र भारत की लोक-तन्त्रात्मक परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदला गया था, तो क्या उनके दिमाग में यह बात थी कि अप्रत्यक्ष रूप में वह अपने ही पिता, स्वर्गीय प्रधानमंत्री की नीति और और कार्यक्रम की आलोचना कर रही हैं और यदि हां, तो चीनियों के भारी हमले के पश्चात् जब वह बहुत सी समितियों—नागरिक समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, एकता समिति आदि—की सभापति बन गई थीं तो उस समय उन्होंने आकाशवाणी के कार्यकरण में सुधार करने का कोई सुझाव क्यों नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : वह मंत्री महोदय से कोई जानकारी ही ले सकते हैं, यह नहीं पूछ सकते कि उस समय क्या हुआ जब कि वह किसी समिति की सभापति थीं।

श्री हरि विष्णु कामत : वह महत्वपूर्ण समितियों की सभापति थीं जैसे कि नागरिक समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद. . .

अध्यक्ष महोदय : वह उनके विभाग के बारे में ही उनसे प्रश्न पूछें।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, अच्छा। मंत्री बनने से पहिले जब वह इन समितियों की सभापति थीं तो उस समय उन्होंने आकाशवाणी के कार्यकरण में सुधार के लिये कोई सुझाव क्यों नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । श्री नाथ पाई ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप इस प्रश्न की अनुमति नहीं देते तो क्या मैं एक दूसरा प्रश्न पूछ लूँ ।

श्री नाथ पाई : उस समिति के निर्देश-पदों को अन्तिम रूप दिये जाने के समय तक जिसका कि मंत्री महोदय ने विवरण में उल्लेख किया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आकाशवाणी में आरोपित पक्षपातवाद, भाई-भतीजावाद और कलाकार कर्मचारियों की स्वेच्छापूर्वक नियुक्ति करने से जो भारी असंतोष व्याप्त है उसे थोड़ा बहुत भी दूर करने के लिये क्या वह कुछ उपचारात्मक उपाय करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक विवादग्रस्त बात है । परन्तु हमने मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रखा है और यदि कुछ शिकायतें हुईं तो हम उनकी जांच करेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेडियो के स्थान पर टेलीविजन पर अधिक जोर देने का कोई योजना है और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं, क्योंकि टेलीविजन का कार्य हमने बहुत ही छोटे पैमाने पर आरम्भ किया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने कुछ दिन पूर्व अपने भाषण में कहा था कि आकाशवाणी द्वारा एक नियंत्रित वाणिज्यिक सेवा प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में किस आधार पर विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं, मैंने यह बात नहीं कही ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि कलाकार कर्मचारियों की अवस्था पर विचार करने के लिये विभागीय समितियां नियुक्त की गई हैं । क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या विशेषज्ञों की ऐसी समितियां नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है जो कि वास्तव में कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्पूर्ण प्रश्न पर तथा अन्य बातों पर और महानिदेशक के अत्यन्त व्यापक अधिकारों के प्रश्न पर भी विचार करेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी एक विशेषज्ञ समिति है जो कि मंत्रालय के कार्यकरण के प्रत्येक पहलू पर विचार करेगी ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान योजना प्रचार समिति द्वारा हाल ही में की गयी इस आलोचना की ओर गया है कि सरकारी प्रचार विभाग के कार्यक्रम में कुछ भारी दोष हैं और सरकार का प्रचार विभाग मंत्रियों के अरुचिपूर्ण, उकता देने वाले और शुष्क भाषणों को अधिक महत्व देने और उनका अधिक प्रचार करने में ही अधिक रुचि लेता है और सामान्यतया अन्य बातों की उपेक्षा करता है . . .

श्री रघुनाथ सिंह : अपने प्रश्न में उन्होंने बहुत से विशेषज्ञों का प्रयोग किया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यह सन्तोष तो होने दोजिये कि उन्होंने यह सब कुछ कहा है।

एक माननीय सदस्य : इतने विशेषज्ञों का प्रयोग करने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : इतने विशेषज्ञों का प्रयोग करने के स्थान पर माननीय सदस्य केवल इतना ही कह सकते थे कि मन्त्रियों के भाषणों का अधिक प्रचार करने के स्थान पर अन्य बातों का अधिक प्रचार किया जाना चाहिये। उन्हें इतने विशेषज्ञों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जो कि प्रश्न को समझने योग्य बनाने के लिये तनिक भी आवश्यक नहीं थे।

श्री हेम बरुआ : देश में लोगों की यही धारणा है और...

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक किसी प्रश्न को समझने योग्य बनाने के लिये विशेषज्ञों का प्रयोग आवश्यक न हो, उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य का प्रश्न तो इन विशेषज्ञों के प्रयोग के बिना भी समझा जाता था।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि विशेषज्ञ प्रयोग करने के लिये हैं, कोई जीतागारों में रखने के लिये नहीं...

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री हेम बरुआ : जो हाँ।

श्री स० मो० बरुआ : उनके पास विशेषज्ञों का एक रक्षित भण्डार है।

श्री हेम बरुआ : अभिलेख को देखने से यह पता चलता है कि प्रचार विभाग मन्त्रियों के भाषणों को अधिक महत्व प्रदान करता है और राष्ट्र के हित से सम्बन्धित मामलों के वास्तविक प्रचार को उपेक्षा करता है। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस प्रस्तावित समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व, सरकार का विचार अपनी प्रचार प्रणाली में सुधार करने के लिये कुछ अन्तरिम उपाय करने का है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ेंगे तो उसमें यह पायेंगे कि हमने यह कहा है कि मन्त्रालय इस विचार से सहमत है कि आकाशवाणी सरकार का एक प्रवक्ता मात्र ही नहीं है परन्तु उसका उत्तरदायित्व जनता की आवाज के रूप में कार्य करने का भी है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न के महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया है। इसलिये क्या इस प्रश्न को पूछने के लिये मुझे आपकी अनुमति मिल सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : अब वह मेरी अनुमति क्यों मांग रहे हैं? जब उन्होंने मेरी पहिले वाली बात ही नहीं मानी तो फिर अब और अनुमति मांगने की उन्हें क्या आवश्यकता है ? यदि वह मांगते ही हैं तो मैं कहूंगा कि वह आगे अब और कुछ न कहें और कृपा करके बैठ जायें।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन कर सकता हूँ कि...

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के विचारार्थ यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह कृपा करके बैठ जायें।

श्री हेम बरुआ : मैं बैठने के लिये तैयार हूँ परन्तु माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्न के महत्वपूर्ण भाग का उत्तर नहीं दिया है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any foreign experts will also be included in the proposed Committee to be set up; and if so, from what countries and reasons therefor?

Shrimati Indira Gandhi : I can not say anything in this regard at present.

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न।

श्री हेम बरुआ : अगला प्रश्न प्रारम्भ करने से पूर्व मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार है। जब कोई मंत्री किसी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और, मुझे यह कहते हुए खेद है कि, आप भी सम्बंधित सदस्य के प्रश्न को दबा देते हैं तो फिर इसका संसद में क्या उपचार है? माननीय मंत्री ने कहा है कि वह समिति की उस बात से सहमत हैं। उसी आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या उन दोषों को दूर करने के लिये वह कोई अन्तरिम उपाय करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। और फिर भी जब मैंने इस बात की ओर संकेत किया तो मुझे ऐसा करने से रोक दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इस समय मुझे किसी व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो वह कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया है। प्रश्न संख्या 153, प्रश्न संख्या 152 स्थगित कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न 155 भी इसके साथ ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां।

हल्के टैंकों का निर्माण

+

* 153. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हुकम चन्द फख्खवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत में हल्के टैंकों के निर्माण के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस की सहायता देने का वायदा किया गया है;

(ग) इन टैंकों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ; और

(घ) टैंकों का वार्षिक उत्पादन कितना होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।
भारत में हल्के टैंक बनाने के लिये हमने रूस से कोई सहायता नहीं मांगी है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विकर्स मीडियम टैंक

+

* 155. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस विकर्स मीडियम टैंक का निर्माण अबाड़ी में किया जाना है उसकी मूलाकृति कुछ समय पूर्व भारत में पहुंच गई थी और उत्तर भारत एवं अन्य स्थानों पर उसके कई परीक्षण हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह परीक्षण सफल हो गये हैं तथा इन टैंकों का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षण प्रायः पूर्णतः सफल रहा है । कुछ शेष परीक्षण शीघ्र ही किए जाने की आशा है । टैंक कारखाने ने टूल-रूम, मशीन शाप और प्लेटें बनाने वाले कक्ष में उत्पादन शुरू कर दिया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या हम टैंकों के निर्माण के बारे में आत्मनिर्भर हैं ?

श्री अ० म० थामस : हम अभी तक टैंक का निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaia : May I know our productive capacity and the cost of production thereon?

श्री अ० म० थामस : उत्पादन लागत के बारे में बताना लोक हित में नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार की, मीडियम तथा हवी टैंकों के निर्माण सम्बन्धी कोई व्यापक नीति है, और यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है, और क्या सरकार इस कार्य में किसी अन्य देशों से सहयोग ले रही है ?

श्री अ० म० थामस : मीडियम टैंकों और हल्के टैंकों के निर्माण सम्बन्धी एक व्यापक योजना है । इस समय हमारा विचार भारी टैंकों के निर्माण करने का नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : चूंकि सैनिक विज्ञान के मूलभूत विज्ञान के अनुसार किसी देश द्वारा हथियारों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शत्रुओं के पास किस प्रकार के हथियार हैं अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में मीडियम टैंकों का निर्माण करने का निर्णय करने से पहले इस सिद्धांत पर विचार किया था ?

श्री अ० म० थामस : हमने इस पहलू पर विचार किया था । इसीलिये हम हल्के टैंकों का भी निर्माण कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : How far our tanks compares with the Russian tanks which are very popular ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक रूसी टैंकों का सम्बंध है, सभा को ज्ञात है कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने रूस का दौरा किया था। उन्होंने वहां पर इस सम्बंध में बातचीत की। वे बाद में अपने रूस और अमेरिका के बारे में सभा को बाद में बताना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि संख्या नहीं बताई जा रही है अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारी वर्तमान उत्पादन क्षमता से हमारी कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूरी हो रही है ?

श्री अ० म० थामस : मैं बता चुका हूँ कि आबादी में मीडियम टैंकों के कारखाने में अना उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इस कारखाने में अगले वर्ष से उत्पादन होने लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतः प्रश्न भूल प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दूसरा अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है। किन्तु माननीय सदस्य इस समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या विकर्स मीडियम टैंक पूर्णतः भारतीय उत्पादन होगा या इसके कुछ पुर्जों के लिये हमें ब्रिटेन पर निर्भर करना पड़ेगा ?

श्री अ० म० थामस : कुछ पुर्जों का आयात अवश्य करना पड़ेगा किन्तु हमारा विचार इसमें अधिक से अधिक देशी सामान लगाने का है। कुछ टैंकों के निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में हम देशी सामान का प्रयोग कर सकेंगे।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि सरकार हल्के टैंकों के निर्माण के लिये एक जापानी फर्म से बातचीत कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक ही उपकरण निर्माण कई अधिकरणों द्वारा हल करने की बड़ी पुरानी प्रणाली अपना रही है ?

श्री अ० म० थामस : हम टैंकों के निर्माण के लिये जापान से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मीडियम और छोट दोनों प्रकार के टैंकों का निर्माण आबादी के आयुध कारखाने में किया जा रहा है ; और क्या पहला टैंक जनवरी, 1965 तक पूर्णतः तैयार हो जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : हमारी अनुसूची के अनुसार वर्ष 1965 के अन्त तक पहला टैंक पूर्णतः तैयार होगा और आशा है हम इसको बनाये रखेंगे।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will these tanks be able to operate in mountain regions ?

श्री अ० म० थामस : हल्के टैंकों का आयात और निर्माण उनका पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग करने की दृष्टि से ही किया जा रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the decision to manufacture light tank with Russian collaboration is a political or it has been done with a view to manufacture cheap tanks ?

श्री अ० म० थामस : मैं प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि हम हल्के टैंकों के निर्माण में रूसी सहायता नहीं ले रहे हैं। हमारी इस बारे में रूस से बातचीत नहीं हुई है। हमने रूस से कुछ हल्के

टैंक खरीदने के लिये कुछ समझौते किये हैं। मैं बता चुका हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्र: महोदय इस सम्बंध में बाद में एक वक्तव्य देंगे।

श्री तिरुमल राव : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बंध में क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इन पुर्जों को पूर्णरूप से भारत में बनाने के लिये कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

श्री अ० म० थामस : हम अधिक से अधिक मात्रा में देशीय पुर्जों को उपयोग में लायेंगे। हम शुरू से ही इस दिशा में प्रयत्न करेंगे। हम इसके लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह --कोटा : क्या इन टैंकों की बन्दूकों और लक्ष्य यंत्रों का भी निर्माण किया जायेगा या इनका आयात किया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : बन्दूकों तथा अन्य वस्तुओं का भी निर्माण किया जायेगा किन्तु इसमें दूसरे देश का सहयोग लिया जायेगा। उदाहरणार्थ, बन्दूकों का निर्माण ब्रिटिश वार आफिस के सहयोग से होगा।

श्री तुलशीदास जाधव : हमारे पास कितने टैंक हैं और कितने टैंकों की और आवश्यकता है ?

श्री अ० म० थामस : टैंकों की संख्या बताना वांछनीय नहीं है।

भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

- +
- * 154. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के इल्युशिन 14 विमान की 17 फरवरी, 1964 को हुई दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां तथा निर्णय क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3106/64]।

(ग) पटल पर प्रतिवेदन रखना लोक हित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न संख्या 170 भी इससे सम्बंधित है ?

श्री अ० म० थामस : यह सम्बंधित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार हमेशा इस प्रकार की चुप्पी की नीति क्यों अपनाती है ? क्या सरकार को संसद के प्रति विश्वास नहीं है ? ऐसा क्यों किया जाता है। इस प्रकार की जानकारी को सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं।

श्री अ० म० थामस : मैंने आयोग के निर्देश पद तथा उपपत्तियों सम्बन्धी एक व्यापक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। पूरी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना वांछनीय नहीं है। इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण भी नहीं है। जिस क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई है उसको देखते हुए भी इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना उचित नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कई बार निर्णय दिया है कि मंत्री तथा सरकार इसका निर्णय करने के लिये पूर्ण सक्षम हैं कि क्या लोक हित में है और क्या नहीं है किन्तु आपने कम से कम दो बार यह भी निर्णय दिया है कि वे इस बारे में अन्तिम निर्णायक नहीं हैं, और यदि आप सहमत नहीं होते तो आप उन्हें दूसरे तरीके से उत्तर कह सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रिपोर्ट के बारे में जानकारी देना लोकहित में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : बिना पूरी बात को जानते हुए मैं कैसे कह सकता हूँ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाद में। इस समय दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में कहा गया है कि विमान अनजाने में मेघपुंजों में चला गया। मेरी समझ में यही एक कारण दुर्घटना का नहीं हो सकता है क्योंकि असैनिक विमान भी मेघपुंजों से सुरक्षित निकल जाते हैं। इस दुर्घटना के बाद शीघ्र जब मैंने सभा में यह प्रश्न पूछे तो वरिष्ठ मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान द्वारा हमारे विमान को गलत निर्देश दिये जाने की संभावना है। यह तोड़फोड़ का मामला नहीं है किन्तु क्या गलत निर्देश दिये जाने की संभावना की जांच की गई थी और क्या जांच न्यायालय इस मामले में नकारात्मक परिणाम पर पहुंचा है ? क्या एक वरिष्ठ अधिकार से अधिक अधिकारियों को एक ही विमान द्वारा यात्रा करने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बंधी विनियम का उल्लंघन किया गया है और क्यों ?

श्री अ० म० थामस : जब मेरे वरिष्ठ साथी ने वक्तव्य दिया था तब उन्होंने इस संबंध में अपनी निश्चित कोई राय नहीं बताई थी। समिति से इस संबंध में भी विचार करने को कहा गया है। पहले प्रतिवेदन में इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था परन्तु अन्तिम प्रतिवेदन में इस बात पर भी विचार किया गया था कि विमान दुर्घटना असावधानी के कारण.....

अध्यक्ष महोदय : 'रास्ते से भटकाने' को क्या ठीक नहीं समझा गया ?

श्री अ० म० थामस : जी, हां ऐसा ठीक नहीं समझा गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि जब ऐसे आदेश हैं कि एक ही विमान में दो वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ नहीं यात्रा करनी चाहिए तो इन आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आदेश हैं कि दो से अधिक अधिकारियों को एक विमान में नहीं बैठना चाहिए ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इनमें एक ही 'रैंक' के दो अधिकारी नहीं थे । इस विमान में यात्रा करने वाले अधिकारियों की सूची हमारे पास है । इनमें एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर तथा एक केप्टेन था ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता लगता है कि उपलब्ध गवाहियों से न्यायालय को संतोष हो गया था कि तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं हो सकती है । उपलब्ध गवाही के आधार पर न्यायालय का विचार था कि दुर्घटना के लिये अप्रत्यक्षतः अथवा प्रत्यक्षतः किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । ऐसा मालूम होता है कि न्यायालय को पूर्ण संतोष नहीं था तथा उनको संदेह था कि तोड़फोड़ का मामला है अथवा नहीं । क्या सरकार का विचार तकनीकी विशेषज्ञों का दूसरा उच्चाधिकार युक्त आयोग नियुक्त करने का है जो जांच न्यायालय की कार्यवाहियों पर विचार करे और ऐसी बातें बताये जिनसे सिद्ध हो जाये कि मामले में पाकिस्तान द्वारा तोड़फोड़ किये जाने का हाथ था ?

श्री अ० म० थामस : न्यायालय ने निश्चित रूप से बताया है कि यह तोड़फोड़ का मामला नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पैराग्राफ 6 तथा पैराग्राफ 5 में विरोधी बातें कही गई हैं । उसमें बताया गया है कि विमान पूर्ण तरह ठीक था, उसमें अधिक सामान नहीं लदा था । विमान चालकों का दल दक्ष तथा शारीरिक रूप से ठीक था तथा पायलट उस मौसम में उड़ान करने में माहिर था जैसा मौसम उस समय वहां पर था । यदि सभी चीजें ठीक थीं तो ऐसा किस प्रकार हुआ कि 14000 फीट की ऊंचाई पर ही विमान का संबंध सभी हवाई अड्डों से अलग हो गया ?

श्री अ० म० थामस : सभी बातें ठीक हैं परन्तु बाद में कोई गड़बड़ी हो गई । न्यायालय ने बताया है कि दुर्घटना इस कारण से हुई थी कि विमान अवासाधानी के कारण एक बादल में फंस गया था जिसके परिणामस्वरूप विमान का नियंत्रण हाथ से निकल गया ।

श्री हेम बरुआ : मैं आपका ध्यान विवरण की ओर दिलाना चाहता हूँ कि एक स्थान पर कहा गया है कि विमान अवासाधानी के कारण बादल में फंस गया तथा दूसरे स्थान पर बताया गया कि विमान का पायलट उस मौसम में विमान चलाने के लिये उपयुक्त था ? दोनों विपरीत बातें हैं ।

श्री अ० म० थामस : मौसम उस समय का बताया गया है जब विमान श्रीनगर से उड़ा था ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान विवरण के पैराग्राफ 3 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें बताया गया है कि विमान असावधानी के कारण बादल में फंस गया तथा विमान के एयर कंट्रोल सेंटर ने सूचित किया था कि विमान बनिहाल पर से तीन मिनट में उड़ जायेगा तथा जानना चाहता हूँ कि क्या आर्मी मेटरियोलोजिकल डिपार्टमेंट अथवा एयर फोर्स मेटरियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम के बारे में भविष्यवाणी नहीं की थी जिससे विमान को चेतावनी दे दी जाती ?

श्री श्री० म० थामस : मैं बता चुका हूँ कि जब विमान उड़ा था उस समय मौसम ठीक था परन्तु बाद में स्थिति बदल गई । मैंने यह भी बताया कि जांच आयोग के अनुसार दुर्घटना असावधानी के कारण विमान के बादल में फंस जाने के कारण हुई थी ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मैं कहना चाहता हूँ कि बादल एकदम तो नहीं आ गये थे । मौसम ऐसा अवश्य होगा जिसमें बादल होंगे । क्या एयर फोर्स मेटरियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने कोई इस संबंध में भविष्यवाणी नहीं की थी ।

श्री श्री० म० थामस : मैंने बताया कि जब विमान उड़ा उस समय मौसम विमान उड़ाने योग्य था । जांच आयोग भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । जांच आयोग ने इन बातों पर विचार कर लिया होगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तकनीकी कर्मचारियों में बेरोजगारी

* 156. { श्री मणियंगडन :
— { श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे लोगों में बेरोजगारी के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है जिन्होंने इंजीनियरी तथा तकनीकी विज्ञान में डिग्रियां और डिप्लोमे प्राप्त किये हैं ;

(ख) इस प्रकार के कितने लोग बेरोजगार हैं ; और

(ग) उनकी बेरोजगारी के कारण क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री २० कि० मालवीय) : (क) जी नहीं। आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर, चार राज्यों में सिर्फ इंजीनियरी और टेक्नालाजी के डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों के बारे में, एक समिति सर्वेक्षण जुलाई, 1963 में किया गया था।

(ख) डिप्लोमा प्राप्त लोगों में से 3247 व्यक्तियों ने सूचना दी थी कि वे 15 जुलाई, 1963 को बेरोजगार थे।

(ग) सर्वेक्षण के दौरान इनके बेरोजगार रहने के कारणों का पता नहीं लगाया गया था।

चीन द्वारा भूटानी गांवों पर कब्जा

* 157. { श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ब० कु० दास) :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० च० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री श्रींकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री स्वैल :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन द्वारा भूटान-तिब्बत सीमा पर स्थित भूटान के 8 गांवों, अर्थात् खांगड़ी, तारचेन, सेरवोर, दिराफू, जांगछे, जंगतुफू, चकिप, और कोचा पर हाल ही में कब्जा कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूटान की सरकार इन गांवों से भू-राजस्व प्राप्त कर रही थी ; और

(ग) इन गांवों को वापस लेने के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, 1959 में।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार ने भूटान सरकार की ओर से चीन सरकार के पास 19 अगस्त 1959 को एक नोट भेजा था। भारत और चीन की सरकारों के बीच 1960 में सरकारी स्तर पर जो बात चीत हुई थी, उसमें भारतीय पक्ष ने यह मामला भी उठाया था इसके बाद 25-4-1960 को चीनियों के पास एक और नोट भेजा गया। चीन द्वारा इन क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जा मुख्य चीन-भारत सीमा प्रश्न का एक अंग है।

लाओस संकट

- * 158. श्री दाजी :
 श्री दीनेन भट्टाचार्य :
 डा० रानेन सेन :
 श्री विश्राम प्रसाद :
 श्री रामेश्वर टांटिया :
 श्री बिशन चन्द्र सेठ :
 डा० सारादीश राय :
 श्री भी० प्र० यादव :
 श्री धवन :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री ब० कु० दास :
 श्रीमती सावित्री निगम :
 श्री म० ला० द्विवेदी :
 श्री स० च० सामन्त :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्री सोलकी :
 श्री नरसिम्हा रेड्डी :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री इन्द्रजीत गप्त :
 श्री यशपालसिंह :
 श्री अ० ना० विद्यालकार :
 श्री रिशांग किशिंग :
 श्री मुहम्मद इलियास :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लाओस संकट को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ।

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह): भारत सरकार ने जिनेवा करार का पूरा समर्थन किया है। लाओस संकट का शांतिपूर्ण समाधान के लिए 1962 में जिनेवा सम्मेलन कि जिन देशों ने सहायता देने में पहल की थी, उनके साथ भारत सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया है और निरन्तर देती रहेगी। उसने लाओस के विषय पर 14 राष्ट्रों के जिनेवा सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है ।

लाओस प्रश्न के समाधान के विषय में 1962 के जिनेवा सम्मेलन के प्रोटोकॉल में लाओस-स्थित अधीक्षण एवं नियंत्रण कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भारत के दायित्वों का वर्णन किया गया है। उन्होंने इसकी सावधानी बरती है कि लाओस के आंतरिक मामलों में कोई दखल न दिया जाय। इसे ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के भारतीय प्रतिनिधि ने लाओस के विभिन्न दलों में फिर से सहयोग, सम्पर्क बनाने के कमीशन के प्रयासों में सहायता दी। तीनों दलों के नेतागण आजकल

पेरिस में हैं और यह आशा की जाती है कि उनकी बातचीत के परिणामस्वरूप कोई समझौता जायेगा जिससे लाओस संबंधी 14 राष्ट्रों के सम्मेलन होने का रास्ता निकल आएगा ।

एच० एफ०--24 जेट विमान

- * 159. { श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
 श्री प्र० च० बरुआ :
 श्री हुकम चन्द कछवाय :
 श्री ओंकार लाल बेरवा :
 श्री विश्वनाथ पांडेय :
 श्री बै० ना० कुरील :
 श्री बजरज सिंह—कोटा :
 श्री मि० स० मूर्ति :
 श्री कोया :
 श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, एच० एफ०-24 जेट विमान को चलाने के लिये एक इंजन को चुनने के कार्य में हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलोर, के भारतीय इंजीनियरों की सहायता करने के लिये, सरकार ने अमरीकी वायुसेना के अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र के विशेषज्ञों और ब्रिटिश रोल्स-रायस कम्पनी के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एच० एफ० -24 विमान को चलाने के लिये अमरीका और ब्रिटेन में निर्मित जेट विमानों के इंजनों के अतिरिक्त संयुक्त अरब गणराज्य में निर्मित एक इंजन के सम्बन्ध में भी बात चीत चल रही है ; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख).
 जी हां ।

(ग) निर्णय शीघ्र होने की आशा है ।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की शव यात्रा के बारे में प्रसारण

- * 160. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री यशपालसिंह :
 श्री बड़े :
 श्री कपूर सिंह :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री अ० क० गोपालन :
 श्री नम्बियार :
 श्री इम्बीचीबावा :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
 श्रीमती सावित्री निगम :
 श्री विभूति मिश्र :
 श्री क० ना० तिवारी :
 श्री बासप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा स्वर्गीय पंडित नेहरू के देहावसान तथा उनकी शवयात्रा के बारे में किये गये प्रसारण में तथा इस संबंध में केन्द्रीय चलचित्र विभाग द्वारा फिल्म के बनाने में की गई गम्भीर भूलों तथा बरते गये राजनैतिक पक्षपात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई विभागीय जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ;

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3107/64] ।

(ख) किसी विभागीय जांच की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

- * 161. { श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री यशपालसिंह :
 श्री अ० क० गोपालन :
 श्री इम्बीचीबावा :
 श्री मुहम्मद इलियास :
 श्री काशी नाथ पांडे :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रस्तावित मजूरी बोर्ड के गठन, कार्य-क्षेत्र तथा निर्देश-पदों को अंतिम रूप देने के सम्बन्ध में क्या क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री २० कि० मालवीय): मजदूरी बोर्ड के विचारार्थ विषयों और गठन को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है और मजदूरी बोर्ड की नियुक्ति संबंधी सरकारी संकल्प शीघ्र ही जारी हो जायेगा ।

अफ्रीकी-एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजनायें

- * 162. { श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजनाओं में भारत के सहयोग को समन्वित करने के लिये सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; उस के निर्देश-पद क्या हैं और उसके कार्य की सामान्य योजना क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई स्थायी संस्था बनाने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों की आवश्यकताओं को आंकने के लिये पिछले वर्ष अक्टूबर में एक अंतर-मन्त्रालय समिति बनाई गई थी ।

(ख) इस समिति के अध्यक्ष विदेश मन्त्रालय के प्रधान सचिव हैं और सदस्य इस प्रकार हैं :—विदेश सचिव , राष्ट्रमंडल सचिव, विशेष सचिव, अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव और योजना आयोग का एक सदस्य । विदेश मन्त्रालय में आर्थिक विभाग के कार्यभारी सह सचिव इस समिति के मंत्री हैं। समिति के कार्यों में अन्य विकासशील देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया देने के प्रस्तावों पर विचार करना भी सम्मिलित है जिस से कि अमल जल्दी हो सके ।

(ग) फिलहाल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई अलग स्थायी एजेंसी कायम करने का इरादा नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों में उपभोक्ता सहकारी स्टोर

- * 163. { श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री धर्मलिंगम् :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) ऐसे स्टोर खोलने में यदि कोई कठिनाइयां हैं तो वे क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 356 उपभोक्ता सहकारी भंडार काम कर रहे हैं, जिन में से 68 शाखा भंडार हैं। इसके अलावा 149 उचित मूल्य की दुकानें हैं।

(ख) मुख्य कठिनाई सामान की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने में रही है। सहकारी भंडारों को सलाह दी गई है कि जब भी सम्भव हो वे अपने को सहकारी थोक समितियों से सम्बद्ध करें ताकि थोक भंडार उन्हें माल दे सकें और वे अपने को उचित मूल्य की दुकानों के रूप में पंजीकृत करें। ताकि वे नियंत्रित चावल/गेहूं/चीनी की सप्लाई प्राप्त कर सकें।

सुपरसानिक लड़ाकू विमानों का निर्माण

* 164. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 23 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से सुपरसानिक लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन के मामले पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ?

टस्कर परियोजना

* 165. { श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 17 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त सड़क विकास संगठन की टस्कर परियोजना (जिसका नाम अब वर्तक हो गया है) में भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में चल रही जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : स्पेशल पोलीस सिब्वन्दी ने उन सभी तीनों मामलों की जांच सम्पूर्ण कर ली है, जो डिब्रूगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित हैं। इन में से एक के बारे में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उस मामले में तीन अफसरों और उन के अभिकथित साथियों पर न्यायालय में अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी गई है दूसरे मामले में अंतिम रिपोर्ट के शीघ्र मिलने की आशा है।

जंजीबार में भारतीय व्यापारी

- * 166. { श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रींकारलाल बेरवा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार सरकार ने वहां के भारतीय व्यापारियों को उनके कारोबार से अलग करने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस से कितने भारतीयों पर प्रभाव पड़ा है, और उनको कितनी क्षति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख). जंजीबार सरकार ने भारतीय व्यापारियों को निकालने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए हैं हालांकि मार्च 1964 में वहां के राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया था, उसमें राष्ट्रीयकरण के कुछ उपायों की व्यवस्था है । इन उपायों की ठीक सीमा स्पष्ट नहीं है ।

त्रिपुरा सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

* 167. श्री स्वैल : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना त्रिपुरा में हमारी सीमा पर गोलाबारी करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो गोलाबारी कितने समय से हो रही है ; और

(ग) क्या गोलाबारी अब बन्द कर दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां, त्रिपुरा में कारंगीचेरा क्षेत्र में हैं ।

(ख) 6 अगस्त से 22 अगस्त, 1964 तक गाहेबगाहे गोलियां चलाई जाती रही हैं ।

(ग) जी हां, 6 अगस्त, को 6 बजे शाम से ।

प्रादेशिक सेना

* 168. श्री नम्बियार : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक सेना की टुकड़ियों को तोड़ा जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रकार बेरोजगार हुए सैनिकों को सेना छात्रदल और नियमित सेना में भर्ती करके अन्य रोजगार दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सैनिकों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव सेना में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग में न लाने के कारण व्यर्थ हो रहा है ; और

(घ) क्या इन सैनिकों को रोजगार और अन्य सुविधाएं प्राप्त कराने के लिये भूतपूर्व सैनिक माना जाता है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रादेशिक सेना की कुछ यूनिटों जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही थी, विघटित कर दी गई हैं।

(ख) और (ग). प्रादेशिक सेना व्यक्तियों को पूरे समय के लिए ब्यस्त रहने का काम प्राप्य नहीं कर सकती। इसलिये इसके बदले में उन्हें राष्ट्रीय छात्रदल में अथवा स्थायी सेना में काम देने का प्रश्न उठता ही नहीं। इस पर भी (डाक तथा तार के अतिरिक्त) विघटित यूनिटों के सेविवर्ग को प्रादेशिक सेना की अन्य यूनिटों में अन्तरण के लिये अपने आप को अर्पित करने को कहा गया है।

(घ) नौकरी के मामले में, विघटित यूनिटों के सेविवर्ग को भूतपूर्व सैनिकों जैसा माना जाता है, अगर उन्होंने लगातार 6 मास के लिये पूरे वेतन पर सम्मिलित सेवा की हो। जहां तक अन्य सुविधाओं का प्रश्न है, प्रादेशिक सेना के सेविवर्ग अपनी सम्मिलित सेवा के हर वर्ष के पीछे 15 दिन के वेतन के अनुदान के अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कम से कम कुल चार वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो।

कलकत्ता पत्तन

* 169. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के पंजीबद्ध श्रमिकों के लिये प्रोत्साहन योजना चालू करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित योजना बम्बई गोदी श्रम बोर्ड के श्रमिकों की योजना के नमूने पर होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) गोदी श्रम बोर्ड, कलकत्ता द्वारा नौभरक कामगारों के लिये योजना बनाते समय कलकत्ता के तट-कामगारों और अन्य पत्तनों के नौभरक कामगारों को लागू प्रोत्साहन योजनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

(ग) जब तक गोदी श्रम बोर्ड सम्बन्धित पक्षों के परामर्श से योजना को अन्तिम रूप नहीं दे देता तब तक यह बताना सम्भव नहीं कि इस योजना और अन्य योजनाओं में क्या अन्तर है।

भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना सम्बन्धी जांच समिति

* 170. { श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के विमानों की हाल में हुई दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये मंत्रिमंडल के सचिव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(क) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर तभी ध्यान दिया जाएगा जब समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो जाये और सरकार द्वारा उसकी जांच हो जाये ।

भारत तथा पाकिस्तान के फील्ड कमांडरों की बैठक

* 171. { श्री प्र० च० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री दी० चं० शर्मा

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के काश्मीर स्थित मुख्य सैनिक, प्रेक्षक, जनरल निम्मो, ने भारत तथा पाकिस्तान को एक पत्र लिखा था, जिस में यह सुझाव दिया गया था कि युद्ध-विराम क्षेत्र में सशस्त्र नागरिकों की उपस्थिति सम्बन्धी समस्या का समाधान करने के लिये दोनों देशों के फील्ड कमांडरों की एक बैठक होनी चाहिये ?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित बैठक इस बीच हों चुकी है; और

(ग) अब समस्या का क्या समाधान निकाला गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां :

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चापुई खास कोयला खान

* 172. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जुलाई, 1964 को 200 खनिक 16 घंटे तक चापुई खास कोयला खान के अन्दर घिरे रहे ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) 18 जुलाई, 1964 को 9.40 प्रातःकाल चापुई खास कोयला खान में पिंजरे को चलाने वाली फिरियाँ (winders) को बिजली की सप्लाई बन्द हो गई। उस समय रात की पारी के 8 व्यक्तियों को मिलाकर 216 खनिक खान के अन्दर थे। ये कामगार सही मायनों में घिरे नहीं थे, क्योंकि उनका संचलन छत के गिरने या किसी और कारण से रुका नहीं; ना ही उनके शरीर को किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा हुआ। शाफ्ट के तल पर रुकने का समय अलग अलग था।

(ख) जी हां।

(ग) इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मीटर के स्विच की ओर जाने वाली केबल के फट जाने के कारण बिजली की सप्लाई अचानक बन्द हो गई। तुरन्त मरम्मत शुरू हो गई। इसके साथ साथ पिट नं० 4 में एमरजेन्सी वाइंडिंग गीयर के रूप में लगे स्टीम वाइंडर को चालू करने की व्यवस्था की गई और सायंकाल 8 बजे तक 34 व्यक्ति बाहर निकाल दिये गए। सायंकाल 10 बजे तक सभी कामगारों को बाहर निकाल दिया गया। इस बीच में सतह से खान के नीचे तक काम-चलाऊ संचार व्यवस्था स्थापित कर दी गई और खान के नीचे कामगारों को भोजन तथा पीने का पानी भेजने का प्रबन्ध किया गया।

साइप्रस की स्थिति

* 173. श्री हरि विष्णु कामत : क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने साइप्रस की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या धारणा बनाई है; और

(ख) उस देश में सामान्य स्थिति लाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

बंदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार को जो सूचना मिली है, उससे यह मालूम होता है कि साइप्रस में स्थिति तनावपूर्ण है।

(ख) जी नहीं। साइप्रस सरकार ने 26 दिसम्बर, 1963 को सुरक्षा परिषद् के सामने साइप्रस की समस्या रखी थी। सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर अमल करते हुए, महासचिव ने एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना भेजी है जिसमें कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन और आयरलैंड की सैनिक टुकडियां हैं। फिनलैंड के राजदूत, श्री सकारी टुआमाओजा को इस समस्या का राजनीतिक हल निकालने के लिये मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाया जाना

* 174. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटामुब्बया :
श्री कजरोलकर :
श्री स्वैल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जुलाई को युद्ध विराम रेखा के पार भास्तीय क्षेत्र में टिथवाल के स्थान पर पाकिस्तानी सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक पर गोली चलाई; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सैनिकों ने 17 जुलाई, 1964 को टिथवाल खण्ड में हमारी चौकी पर गोली चलाई ।

(ख) नीली टोपी तथा उन द्वारा उठाये सफेद झण्डे सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की बर्दी उनकी संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के तौर पर शनाख्त के लिये पर्याप्त है । उनके लिए विशेष सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

बैंक कर्मचारियों का आन्दोलन

* 175. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने जुलाई, 1964 में अपनी अच्छे वेतन क्रमों, अधिक महंगाई भत्ते और देसाई पंचाट का पुनरीक्षण करने की मांगों के समर्थन में 'नियमों के अनुसार कार्य करने' का आन्दोलन आरम्भ कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से समस्त बैंक व्यापार सारे भारत भर में ठप्प हो गया ; यदि हां, तो यह कितनी देर रहा ; और

(ग) क्या इस विवाद का निर्णय हो गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई, 1964 से आन्दोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यह आन्दोलन देश के अन्य स्थानों में फैल गया । इस से लगभग सभी बैंक (स्टेट बैंक आफ इंडिया, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, और बैंक आफ इंडिया को छोड़कर) प्रभावित हुए । मुख्य श्रमायुक्त के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप स्थिति में लगभग 30 जुलाई, 1964 तक धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ । रिपोर्ट मिली है कि अब स्थिति सामान्य है ।

(ग) 13 से 18 और 28 से 29 अगस्त, 1964 को हुई त्रिदलीय बैठकों के परिणामस्वरूप कुछ विषयों पर समझौता हो गया । दीर्घकालिक समझौते के लिए एक और बैठक 30 सितम्बर, 1964 को होनी निश्चित हुई है ।

इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत

* 176. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :

क्या बंदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1964 से जकार्ता (इंडोनेशिया) स्थित भारतीय राजदूत का पद खाली हो गया है और अभी तक उस स्थान पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद पर नियुक्ति किये जाने में इतनी अधिक देर लगाने का क्या कारण है ?

बंदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस जगह को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । लेकिन उम्मीदवार को चुनने में बकत तो लगता है ही ।

राजस्थान में कामदिलाऊ दफ्तर

469. श्री कर्णा सिंहजी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1963 के अन्त तक राजस्थान में कामदिलाऊ दफ्तरों के रजिस्ट्रों में कितने मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट दर्ज थे ;

(ख) 1962-63 तथा 1963-64 वर्षों में कितने तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार दिए गए हैं ; और

(ग) जून, 1964 के अन्त तक रजिस्ट्रों में कितने तकनीकी कर्मचारी दर्ज रह जायेंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क)

| श्रेणी | रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या |
|--|---|
| मैट्रिकुलेट (उच्च माध्यमिक तथा अन्तर माध्यमिक) | 23,760 |
| ग्रेजुएट (पोस्ट ग्रेजुएट समेत) | 1,722 |
| (ख) | |
| वर्ष | इस वर्ष जिन व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया |
| 1962-63 | 1,131 |
| 1963-64 | 1,203 |

(ग) 2,199

सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर

470. { श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भुवनेश्वर के सैनिक स्कूल में इस समय कितने विद्यार्थी हैं ;
(ख) उन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी हैं ;
(ग) क्या उक्त सैनिक स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सीटें रिजर्व हैं ; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 299 ।
(ख) एक ।

(ग) और (घ). सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये एन्ट्रेंस परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है । सामान्यतः इन स्कूलों में प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार बनाई गई योग्यता सूची के अनुसार होता है । परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों का प्रवेश के बारे में विशेष ध्यान रखा जाता है चाहे उनकी योग्यता सूची में कोई भी स्थान क्यों न हो परन्तु उनको अर्हता के अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे ।

प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योग

471. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में 1961, 1962 तथा 1963 वर्षों में प्रतिरक्षा उत्पादन उद्योगों में कितनी रकम खर्च की गई थी ; और
(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी रकम खर्च हो जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो सेंट

472. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) जुलाई, 1964 के अन्त तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सेंटों का सम्भरण किया गया है ;

(ख) 31 जुलाई, 1964 को उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सैट बेकार पड़े थे, और

(ग) बेकार सैटों को उपयोग में लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) 8,438।

(ख) 779।

(ग) सामुदायिक रेडियो सैटों के चलाने और उनके रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्र द्वारा और सहायता दिये जाने के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिससे कि सभी रेडियो सैटों को चालू हालत में रखा जा सके।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रोजगार

473. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) जनवरी, से लेकर जून 1964 तक उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया था ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) :

| प्रार्थियों की श्रेणी | 30 जून, 1964 को चालू रजिस्ट्रों में प्रार्थियों की संख्या | जनवरी—जून 1964 के दौरान जिनको रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या |
|----------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| अनुसूचित जातियों के व्यक्ति | 5,197 | 548 |
| अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति | 8,703 | 648 |

उड़ीसा में सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थान

474. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1964 से लेकर 30 जन, 1964 तक उड़ीसा में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों में कुल कितने रिक्त स्थानों की अधिसूचना दी गई थी ; और

(ख) इस अवधि के दौरान इन संस्थानों में कितने रिक्त स्थान विभिन्न रोजगार दफ्तरों के माध्यम से भरे गये थे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) :

| क्षेत्र | अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या | भरे गये रिक्त स्थानों की संख्या |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| सरकारी | 17,666 | 7,649 |
| गैर-सरकारी | 3,463 | 1,437 |

राजस्थान में बेरोजगार प्रविधिक कर्मचारी

475. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 से राजस्थान के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने प्रविधिक कर्मचारी पंजीकृत थे; और

(ख) जून 1964 के अन्त तक उन में से कितने को रोजगार दिलाया गया था ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) 2,199 ।

(ख)

| अवधि | रोजगार दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या |
|-----------------|--|
| जनवरी—जून, 1964 | 671 |

राजस्थान में महिलाओं के लिये रोजगार

476. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को राजस्थान के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत महिलाओं (स्नातक और गैर-स्नातक दोनों ही प्रकार की) की संख्या कितनी है; और

(ख) जनवरी—जून 1964 की अवधि में उनमें से कितनों को रोजगार पर लगाया गया था ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) :

| प्रवर्ग | 30 जून 1964 को चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत महिलाओं की संख्या | जनवरी—जून 1964 की अवधि में रोजगार पर लगाई गई महिलाओं की संख्या |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| स्नातक | 264 | 9 |
| मैट्रिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण (इंटरमीडियेट परीक्षा में उत्तीर्ण को मिलाकर) | 1,667 | 120 |
| मैट्रिक से नीचे के स्तर की महिलाओं (निरक्षकों को मिलाकर) | 3,157 | 307 |
| योग : | 5,088 | 436 |

Arms Factory near Panwel

477. **Shri Baswant** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 1706 on the 16th December 1963 and state at what stage the proposal to establish an Arms Factory at Panwel in Maharashtra stands at present?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : The proposal is still under examination. A final decision is expected shortly.

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बेरोजगार व्यक्ति

478. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) 30 जून, 1964 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख) :

| श्रेणी | 30 जून, 1964 को चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या |
|--|---|
| अनुसूचित जातियों के व्यक्ति | 16,855 |
| अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति | 808 |

लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त का भाषण

479. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
 श्री भी० प्र० यादव :
 श्री बिशन चन्द्र सेठ :
 श्री धवन :
 श्री ओंकारलाल बेरवा :
 श्री पें० वेंकटासुब्बया :
 श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री स० मो० बनर्जी :
 श्री प्र० चं० बरुआ :
 महाराजकुमार विजय आनन्द :
 श्री सोलंकी :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री नरसिम्हा रेड्डी :
 श्री अ० सि० सहगल :
 श्री इन्द्रजीत गुप्त :
 श्री स्वैल :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त के उस भाषण पर अपनी आपत्ति प्रकट की है जो कि उन्होंने जून 1964 के अन्त में जाफ़ना में दिया था और उस में यह आशा व्यक्त की गई बताई जाती है कि "लंका में तामिल को उपयुक्त स्थान मिलेगा"; और

(ख) यदि हां, तो लंका सरकार ने क्या आपत्ति प्रकट की है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । लंका सरकार ने भाषण पर अपना खेद और अपनी चिन्ता व्यक्त की है और वे ऐसा समझते हैं कि यह उनकी आन्तरिक राजनीति में एक हस्तक्षेप है । उनको यह बता दिया गया है कि उच्चायुक्त के इस कथन को उनके साहस सम्पूर्ण भाषण के संदर्भ में ही समझना चाहिये और उसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि उन्होंने किसी विवादग्रस्त प्रश्न पर किसी का पक्ष लिया था । उन्होंने केवल यह सुझाव दिया है कि लंका में यह समस्या स्वयं वहां के लोगों द्वारा ही सुलझायी जानी चाहिये । लंका सरकार इस स्थिति को पूर्ण रूपेण समझ गई है ।

Production of wireless Equipment

480. { Shri Jagdev Singh Siddhanti :
 Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state how far the production of the special wireless equipment in collaboration with the French firm has progressed at the Bharat Electronics, Ltd., Bangalore ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : It would not be in the public interest to disclose the information asked for.

मनाली-उपूसी सड़क

481. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेकन सीमावर्ती सड़क परियोजना ने मनाली-उपूसी सड़क (लद्दाख) का प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और क्या सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) सड़क को पूरा करने में कितना समय लगेगा और कुल कितनी लागत पर इसका निर्माण होगा; और

(ग) वर्ष के कितने महीनों में यह सड़क उपयोग के योग्य होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसी आशा है कि सड़क को पूरा करने में पांच वर्ष लगेगे । मोटा अनुमान यह है कि इसके निर्माण की लागत लगभग 20 करोड़ रुपया होगी ।

(ग) बर्फ और मौसम की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही यह बात बताई जा सकती है । ऐसी आशा है कि इस पूरी सड़क का वर्ष के छः से आठ महीनों में उपभोग किया जा सकेगा ।

गोआ में नया नौसेना वायु पत्तन¹

482. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीकारलाल बेरवा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री हिम्मतीसिंहका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने गोआ में एक नया नौसेना वायु पत्तन स्थापित किया है ;
और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) नौसेना की एक हवाई अड्डे की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये और युद्ध-कार्यवाही प्रशिक्षण स्कवैड्रन के लिये अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये डैबोलिम (गोआ) के नौसेना वायु पत्तन का विकास किया जा रहा है ।

¹Naval Air Station.

N.D.A. Khadakavasla

483. { Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of Defence be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal for the expansion of the National Defence Academy at Khadakavasla ;
(b) if so, the details thereof; and
(c) when the proposal is likely to be implemented?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence :
(Shri A. M. Thomas) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

मलय भाषा रेडियो सेवा

484. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने कलकत्ता के निकट एक रेडियो स्टेशन से मलय भाषा रेडियो सेवा प्रारम्भ की है ; और
(ख) यदि हां, तो यह रेडियो सेवा स्टेशन कहां पर बनाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं के एक अंग के रूप में मलय भाषा में एक रेडियो सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है । आवश्यक व्यवस्था हो जाने के तुरन्त पश्चात् यह सेवा प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

(ख) यह सेवा दिल्ली से संचारित की जायेगी ।

एम्पलीफोन

485. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने देश में अपने उन ग्राहकों के लिये जो कि कम सुनते हैं एम्पलीफोन की व्यवस्था प्रारम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई टेलीफोन प्रणाली (एम्पलीफोन) का संचालन आरम्भ कर दिया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ ग्राहकों की इस उपकरण की मांग को पूरा किया जा चुका है ।

भूटान में गुप्त रेडियो

486. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या बंदेशिक कार्य मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे गुप्त रेडियो स्टेशनों का भूटान सरकार ने पता लगा लिया है ;

(ख) क्या इन गुप्त रेडियो स्टेशनों का पता लगाने के लिये भारत सरकार ने कोई सहायता देने का प्रस्ताव किया था अथवा भूटान सरकार ने कोई सहायता मांगी थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

बंदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को इस संबंध में भूटान सरकार से कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) अनधिकृत ट्रांसमिटर्स का पता लगाने में भूटान सरकार की सहायता करने के लिये भारत सरकार सहमत हो गई है ।

(ग) भूटानी प्राधिकारियों से परामर्श लेकर उपयुक्त समय पर इनका पता लगाने वाला उपकरण भूटान को भेज दिया जायेगा ।

लोक संगीत वाद्यों का शब्दकोष

487. { श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लोक संगीत वाद्यों का एक शब्द कोष तैयार करने का कार्य अब तक पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । कार्य अभी तक किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुध कारखानों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस

488. { श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस देने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस से कितने कर्मचारियों को तथा कितना लाभ होगा ; और

(ग) क्या यह योजना सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां । आयुध और वस्त्र कारखानों के संयंत्रों के अनुरक्षण तथा सेवाओं के कार्य पर लगे हुए अत्यावश्यक संधारण कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस देने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जिन ८ कारखानों में इस समय योजना लागू की गई है उनके लगभग 2955 अत्यावश्यक अनुरक्षण कर्मचारियों को इससे लाभ पहुंचेगा । कार्य के स्वरूप, उत्पादन के प्रक्रम और कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयत्नों के अनुसार, उनको उनके मूल वेतन के अतिरिक्त कार्याशों पर हुए लाभ का 1/2 परसेंट से लेकर 50 परसेंट से अधिकतम प्रोत्साहन बोनस के रूप में मिलेगा । कार्य के स्वरूप और उसके लिये प्रवीणता तथा उत्पादन के प्रक्रम के अनुसार कार्याशों पर होने वाला लाभ भिन्न-भिन्न अनुभागों और विभिन्न महीनों में भिन्न-भिन्न होगा ।

(ग) प्रोत्साहन बोनस अत्यावश्यक अनुरक्षण कर्मचारियों, अर्थात् प्रवीण और अर्द्ध-प्रवीण कर्मचारियों, को दिया जायेगा ।

Embassy Buildings

489. { **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries where India has her own embassy buildings and residential quarters for staff;

(b) the names of the countries where India has no embassy buildings and residential quarters, but have submitted building plans which are under consideration by Government; and

(c) the annual expenditure on rent for embassy offices and residential quarters in Indian Missions abroad?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) A list of countries where the Government of India owns buildings is being laid on the Table of the House. [*Placed in Library . See No. LT-3108/64*]

(b) Proposals for acquiring our own property (new or additional) from our Missions at the following places are under consideration:

Islamabad (Pakistan), Kathmandu, Kabul, Nairobi, Lagos, Dar-es-Salaam, Leopoldville, Rabat, Algiers, Colombo and London.

(c) The amount of rent paid by the Governemnt of India varies from year to year. During 1963-64 it amounted to Rs. 144 lakhs approximately of which Rs. 90.72 lakhs is in respect of expenditure of External Affairs and the rest pertained to officers and staff of other Ministries attached to the Missions.

M. Ps.' Delegations and Tours

490. { **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) the number of study tours for M.Ps arranged by his Department during the year 1964-65 so far;

(b) whether study reports were furnished by Study Teams on the conclusions of their tours;

(c) whether the reports of Study Teams were circulated to the Members for their information; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) :
 (a) Study visits of groups of Members of Parliament were arranged for the following Projects : —

1. Cambay Oil Fields.
2. Ankleshwar Oil Fields.
3. Atomic Reactors, Trombay.
4. Naval Dockyard, Bombay.
5. Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri.
6. Central Water and Power Research Station, Poona.
7. Industrial Estate, Guindy, Madras.
8. Integral Coach Factory, Perambur.
9. Fertilizers & Chemicals (Travancore) Ltd., Alwaye.
10. Hindustan Insecticides Factory, Alwaye.
11. Cochin Port.
12. Hindustan Aircraft Factory, Bangalore.
13. Hindustan Machine Tools Factory, Bangalore.
14. Indian Telephone Industries, Bangalore.
15. Bharat Electronics, Bangalore.
16. Delhi Zoological Park.
17. Telephone Exchanges at New Delhi.
18. Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi.
19. Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.
20. Hindustan Cables Ltd., Roopnarainpur.
21. Durgapur Steel Plant.
22. Rourkela Steel Plant.
23. Bhilai Steel Plant.
24. Hira kud Dam.
25. Visakhapatnam Shipyard and Port.
26. Pradeep Port.

(b) Yes. Copies of the reports are laid on the Table.
 [Placed in Library. See No. LT-3109/64].

(c) and (d). The reports were sent to the Project Authorities and the Ministries concerned and to the visiting Members. It is not the normal practice to circulate such reports to all Members. Copies are however supplied on demand by individual Members. It would involve considerable expense to print copies for general circulation to all Members.

सरकारी इमारतों में घड़ियां तथा घंटिया

491. { श्री रा० गि० दुबे :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य सरकारी इमारतों के अनेकों कमरों से घड़ियों और घंटियों को हटाने के लिये कार्यवाही की गई है ;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ग) क्या यह सच है कि इस परिवर्तन के कारण नौ सौ घड़ियां बेकार हो गई हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) नई दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की कुछ इमारतों में डाक और तार विभाग द्वारा लगाई गई बिजली की घंटियां और बैटरी से चलाई जाने वाली घड़ियां हटाई जा रही हैं।

(ख) इनके हटाये जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(एक) घड़ियों और घंटियों की व्यवस्था करना डाक और तार विभाग के सामान्य कार्यकर्ताओं में सम्मिलित नहीं है।

(दो) इन सेवाओं में उपयोग किये जाने वाले तारों की जोड़ियों को निकाल कर जनता के लिये टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने के लिये उपयोग किया जा सकता है जो कि अधिक अच्छा होगा।

(तीन) इसमें अधिकांश उपकरण अपनी उपयोगिता काल-सीमा को पार कर चुके हैं।

(ग) जी, नहीं। डाक और तार विभाग द्वारा काय लियों से अब तक वापस ली गई 324 घड़ियों में से 50 बेकार पाई गई हैं और शेष घड़ियां डाक-तार विभाग के अपने काम में लाई जायेंगी।

गोला बारूद कारखानों में अधिक समय काम करने का भत्ता

492. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय गोला बारूद कारखानों में औद्योगिक और अनौद्योगिक मजदूरों को अधिक समय काम करने का एक समान भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या अनौद्योगिक कर्मचारियों को अधिक समय भत्ते की बकाया राशि 1961 से दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां, निम्नलिखित शर्तों पर :—

(एक) अनौद्योगिक कर्मचारियों के काम के घंटे और छुट्टियां वही हैं जो औद्योगिक कर्मचारियों की।

- (दो) अनौद्योगिक कर्मचारियों का काम कुछ इस प्रकार का है कि औद्योगिक कर्मचारियों के दक्षतापूर्वक काम करते रहने के लिये उनकी हर समय उपस्थिति आवश्यक है ।
 (ख) जी नहीं, क्योंकि जो आदेश जारी किये गये हैं उनका भूतलक्षी प्रभाव नहीं है ।
 (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अभ्रक खनिकों के लिये प्रोत्साहन लाभांश योजना

493. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि अभ्रक खानों के मजदूरों के लिये एक प्रोत्साहन लाभांश योजना लागू की गई है ;
 (ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और
 (ग) इस योजना से कितने मजदूरों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) से (ग) अभ्रक खानों के मजदूरों के लिये कोई प्रोत्साहन लाभांश योजना लागू नहीं की गई है । हां, बिहार की अभ्रक की खानों में काम करने वाले मजदूरों को औद्योगिक न्यायाधिकरण, धनबाद, 1954 के पंचाट, जो अब भी लागू हैं, के अन्तर्गत लाभांश देय है । इस लाभांश योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

1. दिहाड़ी मजदूर — लाभांश

(एक) मासिक लाभांश समेकित मजदूरी के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से देय है बशर्तिका मजदूर ने एक मास में कम से कम 20 दिन काम किया हो ।

(दो) त्रैमासिक लाभांश

लाभांश हर तीन महीने में 7 दिन की मूल मजदूरी के हिसाब से देय है बशर्तिका मजदूर ने उन तीन महीनों में 45 दिन जमीन के नीचे काम किया हो अथवा 57 दिन जमीन के ऊपर काम किया हो ।

2. मासिक वेतन पाने वाले मजदूर :— लाभांश तीन महीनों में आधे महीने की मूल मजदूरी के बराबर देय है बशर्तिका मजदूर ने उन तीन महीनों में 45 दिन जमीन के नीचे अथवा 57 दिन जमीन के ऊपर काम किया हो ।

बिहार राज्य में विभिन्न कोयला खानों में काम करने वाले लगभग 15,000 मजदूरों पर यह पंचाट लागू होता है ।

पाकिस्तान द्वारा नागाओं को शस्त्रों का संभरण

494. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
 श्री दी० चं० शर्मा :
 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस बारे में कोई औपचारिक शिकायत भेजी है कि वहां की सरकार ने विद्रोही नागाओं को शस्त्र संभरित कर के एक मित्रता विरोधी कार्यवाही की है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वहां की सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

बैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को, नागा विद्रोहियों को शरण, प्रशिक्षण और शस्त्रों की सहायता देने के लिए एक विरोध पत्र भेजा है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार ने विरोध पत्र में दिये गये तथ्यों को नहीं माना है; उन्हें निराधार बताया है और उन्हें बिगाड़ने का प्रयत्न किया है ।

विमान वाहक 'विक्रान्त'

495. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान-वाहक 'विक्रान्त' के वर्तमान लड़ाकू विमानों को कुछ नये और अच्छी किस्म के विमानों द्वारा बदलने का क्या कोई प्रस्ताव उन के मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है कि विमान किस प्रकार के होंगे और वे किस देश से मंगाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

एवरो—748

496. { श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डिया एयर लाइन्स कारपोरेशन ने एवरो-748 विमानों की दूसरी माला के संभरण के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय को क्रयादेश भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने कितने विमानों के लिये क्रयादेश दिया है ; और

(ग) ये विमान किस तारीख को आयेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटेन में भारतीय

497. { श्री प्र० चं० बरुआ :
 श्री यशपाल सिंह :
 श्री सोलंकी :
 श्री नरसिम्हा रेड्डी :
 श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उन भारतीयों में से, जो ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय के रोजगार पर्चों पर ब्रिटेन गये हैं, अधिकांश बेरोजगार हैं और उनको कठिनाई हो रही है ;

(ख) ऐसे बेरोजगार भारतीयों की क्या संख्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

बंदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ब्रिटेन में रोजगार की कुल स्थिति, ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय द्वारा बताये गये आंकड़ों पर आधारित है। पता चलता है कि बड़ी संख्या में भारतीयों के बेरोजगार रहने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) ब्रिटेन में रोजगार के आंकड़े राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं रखे जाते हैं। अतः यह बताना संभव नहीं है कि किसी एक समय में कितने भारतीय बेरोजगार रहे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जबलपुर में 'कारीगर स्कूल'

498. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जबलपुर में एक कारीगर चित्रकारी स्कूल खोला है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं ;

(ग) स्कूल की क्षमता क्या है ; और

(घ) क्या सरकार और स्कूल खोलेगी और यदि हां, तो कहां पर ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय का कारीगरी चित्रकारी स्कूल खोलने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Development of NEFA

499. Shri Bagri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) the amount of money allotted for the development of NEFA during 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963-64; and

(b) whether the entire amount has been spent and if not, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The budget allotment to NEFA, under development heads, was as follows:

| Year | Budget (in lakhs) |
|-------------------|----------------------|
| 1960-61 | 137.04 |
| 1961-62 | 124.94 |
| 1962-63 | 131.50 |
| 1963-64 | 153.42 |

(b) No, Sir. A shortage of suitable and qualified staff and in some cases of material resources, the short season between monsoons, and the difficult topography and communications were the main causes for the shortfalls.

Use of Hindi in Indian Missions

500. Shri Bagri : Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) how far Hindi is being used in the Indian Embassies in foreign countries and the extent to which English is being used; and

(b) the number and percentage of the personnel knowing Hindi and English in these Embassies?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Diplomatic documents such as letters of Credence, letters of Recall, Commissions of Appointments etc. are presented in Hindi. Besides, letters received in Hindi in our Missions abroad are also replied to in Hindi, as far as possible. All other work is mainly done in English.

(b) The number of officers in our Missions abroad who know English is 1359 and the number of those who know Hindi is 567 or nearly 42 per cent thereof.

आयुध कारखाने

501. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर के समीप अम्भजारी में आयुध कारखाने का आधुनिकीकरण करने के लिये अमरीका से गाड़ियां और संचार-उपकरण प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो खरीदे गये और खरीदे जाने वाले उपकरणों का क्या व्योरा है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

घरेलू नौकर

502. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात अनुसंधान समाज की ओर से प्रोफेसर जे० सी० ढोलकिया द्वारा घरेलू नौकरों की आर्थिक स्थिति के बारे में किये गये प्रायोगिक सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बहुत बड़ी संख्या में घरेलू नौकरों की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

503. श्री हेम राज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा डाक विभाग में पिछले दस वर्षों से डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विभाग में कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये धन मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) (क) जी, नहीं।

(ख) सात क्वार्टर बनाये गये हैं। और क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

दक्षिण रोडेशिया में रंगभेद

504. श्री श्रीनारायण दास : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री 30 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण रोडेशिया में कंगोई में करोई होटल के स्वामी के विरुद्ध, जिसने जातिभेद के आधार पर सैलिसबरी में भारतीय प्रेस अटैची और भारत के कार्यकारी आयुक्त की पुत्री को खाना परोसने से इन्कार कर दिया था, क्या कार्रवाई की गयी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : करोई होटल के स्वामी का दोष सिद्ध किया गया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उसको दोषी पाया और उस पर 30 पाँड स्टर्लिंग जुर्माना किया।

विधि मंत्री का विदेश दौरा

श्री यशपाल सिंह :
505. { श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के क्या नाम हैं ; जिनका केन्द्रीय विधि मंत्री ने हाल में दौरा किया है और उनके दौरे का क्या उद्देश्य है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री, श्री अ० कु० सेन ने, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री श्री दिनेश सिंह के साथ, मलावी (न्यासालैंड) के स्वतंत्रता समारोह में, जो 6 जुलाई, 1964 को स्वतंत्र हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व किया। वापसी यात्रा के दौरान मंत्री महोदय केन्या गये जहाँ उन्होंने सरकार के सदस्यों से बातचीत की और विभिन्न संस्थाओं में भाषण किये।

ए० एस० सी० सेंटर, अलवर

506. श्री काशीराम गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर के आर्मी सप्लाय कोट सेंटर को बन्द करने का निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) आर्मी सप्लाय कोट सेंटर के बन्द हो जाने के कारण क्या अलवर में कोई अन्य आर्मी यूनिट भेजी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां।

(ख) सेना में वृद्धि के कारण ए० एस० सी० के रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिये अस्थायी रूप में सेंटर बनाया गया था। अब वह काम खत्म हो जाने के कारण इसको भी बन्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) अलवर में कुछ और आर्मी यूनिटों को भेजने का विचार है। मामला विचाराधीन है।

Scientists' Delegation to Canada

507. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is fact that a team of twenty Indian scientists is going to Canada to receive training at Atomic Energy of Canada Limited in connection with the setting up of second atomic power station in the country;

(b) the details of assistance given to each of them; and

(c) when they would come back to India?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) to (c). The deputation of twenty four scientists/engineers for training in Canada for a period of 1-2 years under the Colombo Plan in connection with the setting up of the Rajasthan Atomic Power Project is under consideration.

All expenditure in connection with the training including the cost of passage of the officers in question will under the terms of the Colombo Plan be borne by

the Plan authorities. The Government of India, will, however, pay their salaries in India.

Flying Accident

508. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Flying Officer D. S. Dhillon and Pilot Officer, S. S. Sandhu died in an air crash in May, 1964;

(b) if so, the place of the accident and reasons therefor; and

(c) the number of persons present in the plane ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). A flying accident occurred on 15th May 1964 at a place approximately 1/2 a mile from Talwara Dam near Pathankot. Flying Officer D. S. Dhillon and Pilot Officer S.S. Sandhu, who were the only occupants on board the aircraft, were killed as a result of the accident.

In accordance with the Air Force rules, a Court of Inquiry has been ordered to investigate the cause of the accident. The cause of the accident will be known when the proceedings of the Court of Inquiry are finalised.

Sanitary Staff in Cantonments

509. Shri Balmiki : Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are different pay scales for the sanitary staff working in different Cantonments in the country; and

(b) if so, the steps being taken to bring uniformity in their pay scales ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes, Sir. There is, however, uniformity in the pay-scales of the staff working in different Cantonments in the same State.

(b) The scales of pay have been fixed in accordance with the award of the National Industrial Tribunal. After taking into account all the relevant facts and circumstances, the Tribunal did not recommend uniformity in these scales for the staff working in all the Cantonment Boards in the country.

Air Crashes

**510. { Shri Mohan Swarup :
 { Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two air crashes occurred on the 21st July 1964 in which 5 persons were killed; and

(b) if so, the details of the accident ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) There was only one aircraft accident on 21st July 1964 in which two persons were killed.

(b) An IAF aircraft while on training flight, met with an accident on 21st July 1964 approximately 20 miles South East of Allahabad. The Pilot and the Flight Cadet who were on board the aircraft were killed as a result of the accident. The aircraft was damaged beyond economical repairs.

रेडियो फोरम

511. श्री दे० द० पुरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लागू किए गए 'फोरम' के अनुसार ही अन्य राज्यों में भी रेडियो फोरम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) रेडियो ग्रामीण फोरम योजना 1959 से समस्त भारत में लागू है। 30 जून 1964 को 8555 रेडियो ग्रामीण फोरम थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिरक्षा के लिये योजना संस्था

512. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय में एक अलग योजना संस्था स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यह संस्था किस प्रकार की होगी तथा उसके कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) इसके कार्य का योजना आयोग के कार्यों से किस प्रकार समन्वय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थापा) : (क) जो, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चैकोस्लोवाकिया में फिल्म समारोह

513. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जुलाई में चैकोस्लोवाकिया में कारलोवी वैरी में एक फिल्म समारोह हुआ था जिसमें भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया था ; और

(ख) क्या इनमें से कुछ फिल्में 'सरकारी' नाम से दाखिल की गई थीं तथा शेष नहीं और यदि हां, तो यह भेदभाव किस आधार पर किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) एक रूपक फिल्म सरकारी रूप में तथा अन्य आमंत्रित रूप में दाखिल की गई थीं। कारलोवी वैरी के विनियमनों के अनुसार समारोह प्रतियोगिता में एक रूपक फिल्म दाखिल कर सकता है परन्तु समारोह के सभापति संस्थाओं, संगठनों, उत्पादकों अथवा विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार प्रतियोगिता में अन्य फिल्मों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। पहली श्रेणी की फिल्म को सरकारी रूप में तथा दूसरी श्रेणी की फिल्म को आमंत्रित रूप में दाखिल कर लिया जाता है। परन्तु प्रतियोगिता के मामले में उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है।

Land for Jawans

514. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of soldiers who have been given agricultural land in Rajasthan so far and the number of applications under consideration ; and

(b) the possibility of their receiving the land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) : (a) and (b). The information is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid on the table of the Lok Sabha on receipt.

हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट

515. श्री प्र० के० देव : क्या तिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट में विद्यार्थी किस प्रकार भरती किये जाते हैं ;

(ख) इस समय कितने विद्यार्थी संस्था के आरंभिक तथा उच्च कोर्स में हैं तथा वह किन किन राज्यों के हैं;

(ग) क्या इस संस्था में प्रशिक्षण के लिये विदेशी विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय उनकी संख्या क्या है तथा वे किन किन देशों के हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट के कोर्सों में 18 से 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को, उनके निर्धारित शारीरिक स्तर का होने पर, प्रवेश मिलता है। इन स्तरों की प्रति संबद्ध है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--3110/64] सामान्य जनता में से जो पहले आया उसको पहले दाखिल किया के आधार पर दाखिला किया जाता है। थल सेना के सैनिकों के लिए कुछ पद सुरक्षित रखे जाते हैं तथा अभ्यर्थी की उपयुक्तता के आधार पर सेना हैडक्वार्टर चुनाव करता है।

(ख) आरंभिक तथा उच्च कोर्स में प्रशिक्षण घाने वाले विद्यार्थियों के राज्यवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

| | आरंभिक | उच्च |
|-------------------|--------|------|
| जम्मू तथा काश्मीर | 2 | — |
| आसाम | 2 | — |
| मध्य प्रदेश | 2 | — |
| उड़ीसा | 2 | — |
| मैसूर | 2 | 1 |
| महाराष्ट्र | 1 | — |
| दिल्ली | 1 | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 4 | 5 |
| उत्तर प्रदेश | 5 | — |
| पंजाब | 10 | 2 |

आरंभिक कोर्स में एक विद्यार्थी नेपाल का भी है।

(ग) जी नहीं। परन्तु निकट देशों, सिक्किम, नेपाल तथा बर्मा के विद्यार्थी भी दाखिल किये जाते हैं।

(घ) एक। नेपाल से।

आयुध कारखानों के कर्मचारी

516. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक राज्य में कितने आयुध कारखाने तथा औद्योगिक संस्थान हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ए० ए० चामस) : प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के अधीन आयुध कारखानों तथा अन्य उत्पादन संस्थानों की संख्या तथा उनमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

| राज्य | आयुध कारखानों/कर्मचारियों की औद्योगिक संस्थानों अनुमानतः संख्या की संख्या |
|---------------|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 1 1,400 |
| मध्य प्रदेश | 3 25,400 |
| मद्रास | 3 11,500 |
| महाराष्ट्र | 8 30,500 |
| मैसूर | 3 28,000 |
| पंजाब | 1 300 |
| उत्तर प्रदेश | 7 42,100 |
| पश्चिम बंगाल | 5 32,800 |

शिक्षित बेरोजगार

517. { श्री विठ्ठलनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को राज्यवार देश में कितने शिक्षित बेरोजगार थे; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० माजबीय) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 30-6-64 को काम- दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्ट्रों में दर्ज शिक्षित बेरोज़गार अभ्यर्थी (मैट्रिकुलेट तथा उससे अधिक शिक्षा वाले) की संख्या | 31-12-63 को काम- दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्ट्रों में शिक्षित बेरोज़गार अभ्यर्थियों की संख्या* | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित आदिम- जाति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 46,800 | 2,598 | 196 |
| आसाम | 10,322 | 496 | 518 |
| बिहार | 42,027 | 1,986 | 1,912 |
| दिल्ली | 53,362 | 2,382 | 21 |
| गुजरात | 25,434 | 1,612 | 381 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,223 | 133 | 12 |
| जम्मू तथा काश्मीर | 1,103 | 11 | — |
| केरल | 77,854 | 1,901 | 91 |
| मध्य प्रदेश | 44,820 | 1,376 | 433 |
| मद्रास | 55,672 | 2,154 | 6 |
| महाराष्ट्र | 72,987 | 6,314 | 384 |
| मनीपुर | 1,509 | 10 | 132 |
| मैसूर | 47,436 | 2,770 | 12 |
| उड़ीसा | 12,130 | 150 | 204 |
| पांडिचेरी | 451 | — | — |
| पंजाब | 40,801 | 2,687 | 7 |
| राजस्थान | 31,321 | 967 | 330 |
| त्रिपुरा | 2,649 | 54 | 67 |
| उत्तर प्रदेश | 1,15,102 | 12,352 | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 1,17,083 | 5,574 | कोई नहीं |
| जोड़ | 8,01,094 | 45,527 | 5,018 |

*अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के संबंध में सांख्यिकी वर्ष में एक बार इकट्ठा की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में बेकार तकनीकी कर्मचारी

518. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को उत्तर प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों के रजिस्ट्रों में कितने तकनीकी व्यक्ति दर्ज थे; और

(ख) जनवरी, 1964 से जून, 1964 की अवधि में कितने तकनीकी व्यक्तियों को रोज़गार दे दिये गये थे ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) 36,207 ।

(ख) 12,526 ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

519. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की कितनी संख्या थी; और

(ख) उनमें अनुसूचित जाति के आदमियों तथा महिलाओं की क्या संख्या थी ?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) और (ख).

| वर्ग | जून, 1964 की समाप्ति पर चालू रजिस्टर में दर्ज शिक्षित आवेदकों (मेट्रीकुलेट तथा उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त) की संख्या |
|-----------------------------|--|
| 1. कुल शिक्षित आवेदक | 1,15,102 |
| 2. अनुसूचित जाति के व्यक्ति | 12,352* |
| 3. महिलायें | 3,836 |

*इनका सम्बन्ध 31 दिसम्बर, 1963 से है ।

माइक्रो-वेव संचार प्रणाली

520. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा शेष देश के बीच एक निर्भरयोग्य संचार सम्पर्क की व्यवस्था करने के हेतु सरकार का एक माइक्रो-वेव संचार प्रणाली चालू करने का विचार है जिसके द्वारा कलकत्ता का कटिहार के द्वारा डिब्रूगढ़, कूच-बिहार तथा शिलांग के साथ सम्पर्क स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा इस कार्य पर कुल कितना धन व्यय होगा?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य के मार्च, 1965 तक समाप्त हो जाने की आशा है तथा इस पर 165 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

टैंकों का निर्माण

521. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बृजराज सिंह कोटा :
श्री बागड़ी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टैंक निर्माण करने वाले एक एकक की स्थापना के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये एक फ्रांसीसी शिष्टमण्डल देहली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) शिष्टमण्डल द्वारा दिये गये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

'निसान' जीपों का निर्माण

522. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 30 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'निसान' जीपों तथा 'निसान' एक-टन वाली ट्रकों के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्ताव के अनुसार इस प्रयोजन के लिये स्थापित किये जाने वाले एक नये कारखाने में मोटरगाड़ियों का अधिक संख्या में निर्माण किया जायेगा । इनके निर्माण में घीरे घीरे देश में ही बने पुर्जों को प्रयोग में लाया जायेगा ।

तोपखाना केन्द्र

523. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 16 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना मुख्यालय के एक तोपखाना केन्द्र तथा क्लर्क प्रशिक्षण स्कूल खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किस निर्णय पर पहुंची है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) तोपखाना केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है तथा क्लर्क प्रशिक्षण स्कूल खोलने का प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है ।

परमाणु बम

524. { श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिन्हा रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने परमाणु बम तैयार करने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर ली है ;
- (ख) क्या इन बमों के निर्माण में प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है ; और
- (ग) क्या इस देश में प्लूटोनियम पैदा होता है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) परमाणु बम बनाने के सामान्य सिद्धान्त सुविदित हैं परन्तु चूंकि हमने इस दिशा में कदम नहीं उठाया है, अतः हमने इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त की है । यदि इस दिशा में बढ़ने के बारे में कोई निर्णय किया जाता है, तो विस्तृत जानकारी का विकास करने में लगभग एक वर्ष लग जायेगा ।]

(ख) प्लूटोनियम अथवा यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है ।

(ग) जी, हां ।

सेना में अनुसूचित जाति के लोग

525. श्री गुलशन : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1963 से लेकर 31 मार्च, 1964 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति जे० सी० आ० के रूप में सेना में भर्ती किये गये ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को और आगे पदोन्नति दी गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) दो, श्रीमान् । सेना में भर्ती सामान्यतया सिपाही के सबसे छोटे पद पर होती है तथा सीधे जे० सी० आ० की भर्ती नहीं की जाती है । तथापि यह नियम जमादार धार्मिक शिक्षकों (पंडित, ग्रन्थी, मौलवी तथा पादरी) पर तथा सेना डाक सेवा में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि डाक और तार विभाग से प्रतिनियुक्त पर आते हैं, लागू नहीं होता है । आपातकाल के दौरान इंजीनियरों की कोर के कुछ बर्गों में, जैसे कि ओवरसीयर बी० एण्ड आर० मेकेनिस्ट ई० एम० तथा ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, जूनियर कमीशण्ड आफिसरों की सीधे भर्ती करने के लिये नियमों में कुछ ढिलाई की गयी थी ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताये गये दोनों व्यक्तियों में से किसी को भी पदोन्नत नहीं किया गया है ।

Thefts of Dak

526. **Shri Bade** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

- (a) Whether cases of thefts of dak have considerably increased recently ;
- (b) Whether cheques sent by post are stolen in transit ;
- (c) the cases of thefts detected during the period from January to July, 1964 ; and
- (d) Whether postal employees are also involved in it ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) No. Sir.

- (b) Twenty five cases have been reported during January to July, 1964.
- (c) 61 cases have been brought to notice all over India.
- (d) Yes, Sir. 18 employees including three extra departmental employees were involved.

आकाशवाणी द्वारा गांधी जी की जीवन घटनाओं सम्बन्धी रिकार्ड तैयार किया जाना

527. श्री दलजीत सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड तैयार करने की आकाशवाणी की जो योजना है उसकी क्रियान्विति के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गत कुछ वर्षों से आकाशवाणी विभाग महात्मा गांधी के जीवन तथा कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन तथा उनके तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है। इरादा यह है कि राष्ट्रपिता की एक रेडियो आत्मकथा का संकलन किया जाय जिसका 1959 के दौरान, जो कि उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष है, प्रसारण किया जाय। यह कार्य आकाशवाणी के एक पृथक् एकक को सौंपा गया है जिसके कार्य के मुख्य पहलू ये हैं :—

- (1) रेडियो आत्मकथा में दिये जाने वाली समस्त उपलब्ध सामग्री (लेख, भाषण तथा रिकार्डों की अनुलिपियां आदि) का अध्ययन व उनमें अनुसन्धान तथा शीर्षकों और पहलुओं का चयन ;
- (2) महात्मा जी के निकट सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की एक सूची तैयार करना तथा आत्मकथा में सम्मिलित करने के लिये उनके व्यक्तिगत संस्मरणों के रिकार्ड बनाना; और
- (3) प्रत्येक ऐसे भिन्न कार्यक्रम की लिपि तैयार करना जो कि समूची आत्म कथा माला का अंग बनेगा।

महात्मा जी के समृद्ध तथा घटनापूर्ण जीवन तथा उसके अनेक रूपों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य आकाशवाणी विभाग ने अपने हाथ में लिया है वह निश्चय ही बहुत बड़ा तथा महत्वपूर्ण है। इस कार्य को शीघ्र एवम् तरीके से पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

लंका में माल बोटों के भारतीय मालिक

528. श्री उमानाथ : क्या बंदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि माल बोटों (जल परिवहन) के भारतीय मालिकों के एक दल को अपनी माल बोटों को छोड़ कर अथवा ठेकेदार से, जिसको उन्होंने अपनी माल बोटें पट्टे पर दे रखी थीं, अपनी बकाया राशि लिये बिना लंका छोड़ कर आना पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि लंका की पुलिस ने अप्रैल, 1964 में उनको गिरफ्तार कर लिया था और इस प्रकार उनको लंका से अपनी माल बोटें वापिस लाने से रोक दिया गया ;

(ग) क्या सरकार को जून, 1964 में माल बोटों के मालिकों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्या-
वेदन प्राप्त हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

बंदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उनको इन आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था कि वे लंका में ठहरने के अपने पारपत्रों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी वहां रुके हुए थे । लंका की सरकार ने उन्हें अपनी माल बोटें वापिस लाने से नहीं रोका । माल बोटों को तो वहां पर इसलिये छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी बहुत अधिक मरम्मत की जानी थी जिसके बिना उनको वापिस नहीं लाया जा सकता था ।

(ग) और (घ) जी, हां । माल बोटों के मालिकों ने जून, 1964 में यह अभ्यावेदन दिया था कि भारत सरकार लंका की सरकार से यह प्रार्थना करे कि वह उनको तथा ठेकेदार को 2 महीने के लिये पारपत्र देने की कृपा करे ताकि वे लंका जाकर माल बोटों की मरम्मत करा सकें । तदनुसार, कोलम्बो स्थित भारतीय उच्चायोग की प्रार्थना पर लंका सरकार ठेकेदार तथा माल बोटों के 7 मालिकों को पारपत्र देने के लिये सहमत हो गई है । हमारा उच्चायोग माल बोटों के अन्य मालिकों के लिये भी पारपत्र दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहा है ।

प्रतिरक्षा एककों में भरती

529. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भर्ती केन्द्रों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे अपने भर्ती कार्यक्रम की गति धीमी कर दें; और

(ख) क्या समस्त केन्द्रों में भर्ती किये गये व्यक्ति प्रतिरक्षा एककों द्वारा खपा लिये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां । भर्ती केन्द्रों को ये हिदायत दी गई है कि वे अपने भर्ती कार्यक्रम की गति धीमी कर दें क्योंकि जितने व्यक्तियों की भर्ती करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था, उतने व्यक्ति सामान्यतया भर्ती कर लिये गये हैं ।

(ख) भर्ती किये गये उन व्यक्तियों को, जिनका प्रशिक्षण काल पूरा हो गया है और जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लिया है, या तो सेना के एककों में खपा लिया गया है अथवा उनको उनमें खपाया जा रहा है । प्रशिक्षणाधीन व्यक्तियों को भी उनका प्रशिक्षण काल पूरा होने तथा अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लेने पर खपा लिया जायेगा ।

राष्ट्रमंडल के सेनाध्यक्षों का सम्मेलन

530. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सेनाध्यक्ष तथा अन्य उच्च सैनिक अधिकारियों ने कैम्ब्रले, यू० के० में हाल में हुए राष्ट्रमण्डल के सेनाध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या सम्मेलन में एक संयुक्त राष्ट्रमण्डलीय सुरक्षा बल की स्थापना करने का निर्णय किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० सा० राजू) : (क) भारत के सेनाध्यक्ष ने पश्चिमी कमान के जी० ओ० सी०-इन-सी० सहित अगस्त 1964 में कैम्ब्रले में चीफ आफ दी इम्पीरियल जनरल स्टाफ एक्ससाइज "हरक्यूलस" में (राष्ट्रमण्डल के सेनाध्यक्षों के सम्मेलन में नहीं) भाग लिया था ।

(ख) जी, नहीं । यह विषय न तो कार्यावलि में था और न ही इस पर चर्चा हुई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रम अनुसंधान संस्था

531. श्री काशी नाथ पांडे : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री 9 सितम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित श्रम अनुसंधान संस्था की स्थापना हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी, हां । संस्था 1860 के समिति पंजीयन अधिनियम 21 के अधीन एक स्वतन्त्र सरकारी निकाय (समिति) के रूप में 28-6-62 को पंजीयन किया गया था ।

(ख) जी, अभी तक नहीं ।

प्रतिरक्षा उत्पादन

532. श्री दाजी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्शदाताओं की अमरीकी फर्म ने, जिसको प्रतिरक्षा उत्पादन के मामले में परामर्श देने के लिये कहा गया था, देश में प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस फर्म ने अवाडी में एक हल्का टैंक बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ?
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थॉमस) : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में उपपत्तियां तथा निम्न क्षेत्रों में उनकी पूर्ति करने के लिये सिफारिशों की गई हैं :—

- (1) शस्त्रास्त्र, विस्फोटक पदार्थ तथा हथियार
- (2) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार व्यवस्था
- (3) मोटर गाड़ियां
- (4) देश में मैंगनेसियम के उत्पादन की साधकता

(ग) जी, नहीं ।

पाक राष्ट्रजनों द्वारा भारतीयों का अपहरण

533. श्री तन सिंह : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री 13 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को पाक राष्ट्रजनों द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सीमावर्ती गांव दिगा से अपहरण किये गये 2 भारतीय राष्ट्रजनों को वापस प्राप्त करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : राजस्थान की सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों ने पाकिस्तान की सशस्त्र कांस्टेबलरी के अधिकारियों से अपहरण किये गये इन भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई के प्रश्न पर बातचीत की थी तथा राजस्थान और पश्चिम पाकिस्तान के सीमावर्ती अधिकारियों को 20-3-64 को हुई एक बैठक में भी इस मामले पर विचार विमर्श हुआ था । पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की पुलिस ने दो भारतीय राष्ट्रजनों को सीमा से लगभग 20 मील अन्दर पाकिस्तानी राज्यक्षेत्र के एक स्थान से गिरफ्तार किया था और इसलिये इन दो भारतीय राष्ट्रजनों पर पाकिस्तान के न्यायालय में मुकदमा चलाया जायेगा । इन दो भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में अभी तक कोई भी सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु ऐसा समझा जाता है कि उनको एक वर्ष के कारावास का दंड दिया गया है और प्रत्येक पर 500 रुपया जुर्माना किया गया है ।

तटीय बैटरी

534. { श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ब्रिजानचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या । तिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्दरगाह वाले शहरों में तटीय बैटरियों के संचालन कार्य को स्थल सेना से लेकर नौसेना को सौंपने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थानत) : (क) और (ख) जी, हां। संचालन तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, सरकार ने मई, 1964 में स्थायी आधार पर एक निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत तटीय बैटारियों को चलाने का कार्य स्वयं सेना से नौसेना को सौंपने का निर्णय किया है।

Sainik School

535. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether a decision was taken a few years ago to set up a Sainik School at Jhajjar in Rohtak District (Punjab) ; and

(b) The stage at which the matter stands at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) :

(a) Yes.

(b) After declaration of the National Emergency the setting up of the School at Jhajjar has been postponed. It will be further considered by the State Government. on restoration of normalcy.

मास्को में भारतीय दूतावास

536. श्री सेझियान : क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या 1 अक्टूबर, 1960 से 21 सितम्बर, 1961 की अवधि में मास्को स्थित भारतीय दूतावास में बहुत बड़ी राशि का गबन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और वह धन राशि कितनी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

बंदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, यह पता चला था कि 1960 तथा 1961 में मास्को में भारतीय दूतावास में लगभग 1,50,000 रुपये की सरकारी राशि का गबन किया गया।

(ख) इस मामले के बारे में आवश्यक जानकारी तथा सही धनराशि लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन के पैरा 42 में दी हुई है।

(ग) दूतावास के खजांची को, जिसके विरुद्ध सरकारी धन राशि का गबन करने का आरोप का आरोप था, भारत वापस बुला लिया गया और उसके विरुद्ध अभियोग चलाया गया। उसके विरुद्ध तीन फौजदारी के मामले चलाये गये। एक मामले में वह दोषी ठहराया गया और उसे चार वर्ष के अठोर कारावास तथा 40,000 रुपया जुर्माना देने अथवा जुर्माना न देने की अवस्था में और एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। उसने इसके विरुद्ध अपील की है और वह उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अन्य दो मामले विशेष न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में अभी चल रहे हैं।

खजांची को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

वियतनाम

537. श्री हरि विष्णु कामत : क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम तथा अमरीका की सरकारें वियतनाम में हाल में हुई घटनाओं के बारे में हमारी सरकार से निरन्तर पत्र-व्यवहार करती रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र-व्यवहार की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है अथवा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

बंदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री को अमरीका के राष्ट्रपति का निजी सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि दक्षिण वियतनाम की टॉरपीडो नौकाओं ने अमरीकी नौपोतों पर जान बूझकर हमला किया और अमरीका के राष्ट्रपति ने आत्म-रक्षा के अमरीका के अधिकार के प्रयोग के रूप में सीमित कार्यवाही करने का आदेश दिया था । भारत सरकार को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम की सरकार से भी पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अमरीकी नौपोतों पर दूसरे हमले की बात को अस्वीकार किया है । वियतनाम में हाल में हुई घटनाओं के बारे में वियतनाम गणतन्त्र की सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) वियतनाम की स्थिति के बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण 5 अगस्त, 1964 को इसके द्वारा जारी किये गये वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया है ।

नागा विद्रोही

538. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने 28 अगस्त, 1964 को कोहिमा-वोखा सड़क पर छिप कर किये गये हमले में दो सुरक्षा कर्मचारियों को मार दिया तथा दो अन्य कर्मचारियों को घायल कर दिया ;

(ख) क्या उसी क्षेत्र में पहले दिन भी सुरक्षा बलों पर गोली चलाने तथा नागा विद्रोहियों द्वारा मारे जाने की घटनायें हुई थीं ;

(ग) यदि हां, तो कहां तथा उस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इन वारदातों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां । 28 अगस्त, 1964 को 07.15 बजे लगभग 100 नागा विद्रोहियों ने वोखा-कोहिमा सड़क पर (चाखाबामा के उत्तर पश्चिम में लगभग 10 मीर उत्तर में) वाजोंग में स्कूल, मरहेमा के निकट एक पुलिस सड़क सुरक्षा पार्टी पर छिप कर हमला किया कर दिया । विद्रोहियों ने छोटी मशीनगन, स्टेनगन तथा राइफलों से गोली चलाई और ग्रेनेडों का भी प्रयोग किया, और जहां पर उन्होंने हमला किया था वहां पर जाने वाले रास्ते में उन्होंने विस्फोटक पदार्थ तथा बम छिपा कर रख दिये थे । दो सिपाही मारे गये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) नागा विद्रोही काफी समय से इस प्रकार के हिंसात्मक कार्य करते रहे हैं । उनका मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सेना तैनात कर दी गई है । फिर भी अब यह आशा है कि 5/6 सितम्बर की आधी रात से उनके विरुद्ध कार्यवाही बन्द किये जाने के बाद इस प्रकार की घटनायें नहीं होंगी ।

भारत की फिल्म संस्था

539. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत की फिल्म संस्था को इंटरनेशनल लाइजन सेंटर आफ सिनेमा एण्ड टेलीविजन्स स्कूल्स, पेरिस से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध से भारतीय फिल्म संस्था को क्या लाभ होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध से फिल्म संस्था को बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त हो जायेगी और आपसी हित के मामलों के बारे में सदस्यों के बीच विचार तथा जानकारी की अदला बदली हो सकेगी । इससे हमारी संस्था के लिये विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मान्यता प्राप्त स्तरों को अपनाना संभव हो सकेगा और अन्य अधिक उन्नत देशों की फिल्म संस्थाओं के साथ लेक्चरारों आदि के आदान प्रदान की सुविधा का लाभ उठाना संभव हो सकेगा । इस क्षेत्र में आधुनिक प्रणालियों, अनुसंधान तथा विकास कार्यों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना भी संभव हो सकेगा ।

सैनिक स्कूल पंचमढ़ी

540. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है ।

विशेष स्टाम्प

541. श्री हरि विष्णु कामत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देशबन्धु चित्तरंजन दास तथा विलियम शेक्सपीयर की स्मृति में विशेष स्टाम्प जारी करने के अपने निर्णय को वापिस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) सिक्युरिटी प्रेस की सीमित क्षमता के कारण, 1964 में निकाले जाने वाले स्टाम्पों की संख्या में कमी करनी पड़ी ।

पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सरकार द्वारा आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रत्येक के सामने बताये गये विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ :—

- | | |
|---|---|
| (एक) विवरण संख्या 1 | आठवां अधिवेशन, 1964 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3094/64] | |
| (दो) अनुपूरक विवरण संख्या 3 | सातवां अधिवेशन, 1964 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3095/64] | |
| (तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 6 | छठा अधिवेशन, 1963 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3096/64] | |
| (चार) अनुपूरक विवरण संख्या 8 | पांचवां अधिवेशन, 1963 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3097/64] | |
| (पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 12 | चौथा अधिवेशन, 1963 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3098/64] | |
| (छः) अनुपूरक विवरण संख्या 15 | तीसरा अधिवेशन, 1962-63 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ए० टी० 3099/64] | |
| (सात) अनुपूरक विवरण संख्या 18 | दूसरा अधिवेशन, 1962 (तीसरी लोक-सभा) |
| [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3100/64] | |

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 18 बारहवां अधिवेशन, 1960
(दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3101/64]

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या 19 ग्यारहवां अधिवेशन, 1960
(दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3102/64]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आदेश

श्रीम श्रीर रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : मैं श्री द० रा० चव्हाण की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) दिनांक 5 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1267 में प्रकाशित मद्रास मोटा चावल (अधिकतम मूल्य) संशोधन आदेश, 1964

(दो) दिनांक 7 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1273 में प्रकाशित अन्तर्देशीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3103/64]

गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पत्र

श्री र० कि० मालवीय : मैं गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 22 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2969 में प्रकाशित गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3104/64]

विधेयक पर राय

OPINIONS ON BILL

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 में आगे संशोधन करने वाले बिल के बारे में, जो 13 सितम्बर, 1963 को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया गया था, पत्र संख्या 4 सभा पटल पर रखती हूँ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 8 सितम्बर, 1964 की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1964 को पारित कर दिया है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन विधेयक)
INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1964 को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे त्रिवेन्द्रम के सुपरिन्टेंडेंट से दिनांक 8 सितम्बर, 1964 का एक पत्र प्राप्त हुआ है कि लोक-सभा के सदस्य, श्री इम्बीचि-बावा को 8 सितम्बर, 1964 को केन्द्रीय जेल त्रिवेन्द्रम से रिहा कर दिया गया है।

सभा के कार्य के बारे में
RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री नाथ पाई (राजापुर) : आप ने निदेश दिया है कि वालकाट के मूरुद में अनधिकृत तौर पर उतरने सम्बन्धी जिस विषय पर मैं चर्चा उठाना चाहता था उसे कल 12 बजे उठाया जाए। परन्तु चूँकि मुझे एक जरूरी काम से बम्बई जाना है इसलिये यदि सभा सहमत हो तो यह विषय बुधवार 12 बजे सभा में उठाने की मुझे अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को इस में कोई आपत्ति है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मूरुद का मामला सभा में चर्चा के लिये बुधवार लिया जायगा।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

प्राक्कलन समिति

श्री अ० च० गुह (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित ढंग से लोक-सभा के सदस्य श्री ललित सेन के स्थान पर, जो सभा-सचिव नियुक्त हो जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, 30 अप्रैल, 1965 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष समय के लिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।”

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

“कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित ढंग से लोक सभा के सदस्य श्री ललित सेन के स्थान पर, जो सभा-सचिव नियुक्त हो जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे, 30 अप्रैल, 1965 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष समय के लिए, प्राक्कशन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कोर्ट आफ वार्ड्स (भारतीय रियासतोंके शासक) विधेयक

COURT OF WARDS (RULERS OF INDIAN STATES) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ मामलों में भारतीय रियासतों के शासकों की सम्पत्ति की कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा देख रेख की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

“कि कुछ मामलों में भारतीय रियासतों के शासकों की सम्पत्ति की कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा देख रेख की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL
OF MINISTERS—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 11 सितम्बर, 1964 को श्री नि० च० चटर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

“कि यह सभा मंत्रि-परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।”

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : विरोधी पक्ष के लोग 'भारत बन्द' की धमकी दे रहे हैं। यदि यह सफल हो जाता है तो देश के लिये घातक सिद्ध होगा। तेश में त्रिधि तथा व्यवस्था नहीं रहेगी। विरोधी पक्षों को अपने हित को देश के हित से ऊपर स्थान नहीं देना चाहिए। श्री चटर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय आपात को समाप्त होना चाहिए परन्तु

[श्री हनुमन्तैया]

'भारत बन्द' की आवाज़ उठाने वालों को ठीक करने के लिए आपात काल का जारी रखा जाना आवश्यक है।

स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपने हित की दृष्टि से संविधान में संशोधन कर रही है। परन्तु संविधान द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है और यह उस का उत्तरदायित्व है कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की दृष्टि से जिस प्रकार की कार्यवाही करना वांछनीय समझे उसे करे। लोगों के लिये कानून बनाने का काम उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का नहीं है। और कानून के निर्वचन की जिम्मेदारी कानून बनाने की जिम्मेदारी से ऊपर नहीं है। इसलिये संसद पर इस प्रकार का आरोप लगाना अनुचित है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : परन्तु उच्चतम न्यायालय ने कुछ लोगों को दोषी ठहराया था जिन्हें मंत्रि पद दे दिया गया है।

श्री हनुमन्तैया : उच्चतम न्यायालय की राय एक प्रासंगिक विचार के रूप में होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय का फैसला एक प्रासंगिक विचार के रूप में होता है।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालय के विचाराधीन किसी मामले सम्बन्धी वास्तविक उपपत्तियों के अतिरिक्त, कभी कभी कुछ बातें केवल प्रासंगिक विचार के रूप में होती हैं। परन्तु जिस विशेष मामले की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उस के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री हनुमन्तैया : वास्तविक तौर पर और कानून की दृष्टि से देश की जनता ही सर्वाधिकार सम्पन्न है और संसद में जनता के प्रतिनिधि चुन कर आते हैं इसलिये यदि वह संसद सामाजिक न्याय की दृष्टि से संविधान में संशोधन करती है तो उसे उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं कहा जा सकता।

सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास पर कुल 408¹/₂ करोड़ रुपया व्यय किया या करने जा रही है। इस पर भी यदि सरकार को आरोपित किया जाय तो यह बात न्यायसंगत नहीं होगी।

श्री दाण्डेकर ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री की भी आलोचना की। परन्तु वह हमारे महान नेता थे। उन्होंने देश को 17 वर्ष तक जिस मार्ग पर चलाया हम उसे मान्यता देते हैं और भविष्य में भी हम उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करेंगे। उन्होंने देश में स्थापित लोकतंत्र एवं समाजवाद की नींवें रखीं।

हम सभी इस बात पर एकमत हैं कि भ्रष्टाचार को तुरन्त समाप्त करना है। इसे किसी दल-विशेष का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार पाया जाता है उसे दूर करने के लिये सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाये गये हैं। सदाचार समिति भी

इसी प्रयोजनार्थ बनाई गयी है। अतः इस बुराई को हम सब को मिल कर दूर करना है। कांग्रेस की एक रोलर से उपमा दी गयी है परन्तु इसी रोलर ने ऊंचे और बड़े में भेद मिटाया है, जागीरदारों और तालुकदारों को समाप्त किया है, जातपात के भेद को मिटाया है, संविधान में और कानन की दृष्टि में स्त्री एवं पुरुष में बराबरी कायम की है, और अब वही रोलर धन के केन्द्रण, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और अन्य बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। कई लोगों से सरकार ने छापे मार कर छिपा हुआ धन बरामद किया है। हमारे नये प्रधान मंत्री नम्रता एवं सत्य-निष्ठा के प्रतीक हैं जिन्हें केवल दल-विशेष का ही नहीं वरन् राष्ट्र का नेता हमें मानना है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार कुछ दिन पहले अपने बहुमत के कारण सभा से अपनी खाद्य नीति का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गई है। हालांकि सरकार का इस सभा में बहुमत है परन्तु देश की जनता का यह सरकार विश्वास खो बैठी है। केरल में कांग्रेस सरकार अपने बढ़ते हुए दोषों के कारण समाप्त हो गई है। यदि देश से भुखमरी तथा महंगाई दूर न की गई तो केन्द्रीय सरकार को भी एक दिन देश का शासन छोड़ना पड़ेगा। लोगों ने श्री नेहरू के निधन के पश्चात् बड़ी वफादारी से वर्तमान सरकार का साथ दिया है। परन्तु उन्हें यह आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी उन पर इतनी अधिक मुसीबतें आ पड़ेंगी। और इस सब के लिये सरकार ही जिम्मेदार है। यह संकट कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण उत्पन्न हुआ है जिनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने से हिचकिचाती है। वर्तमान संकट के जल्दी तथा प्रभावशाली हल पर ही भारतीय गणतंत्र की उन्नति तथा हमारी अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं की प्रगति निर्भर करती है। सरकार को यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिये कि स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव से अपने को अलग रख कर शास्त्री सरकार के प्रति जो नरम रुख अपनाया है उसके पीछे देश के चन्द लोगों का स्वार्थ है।

सरकार ने हड़ताल करने वाले मजदूरों पर गोलियां चलवाईं और उनके नेताओं, आदि को जेलों में ठूस दिया। परन्तु समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि सरकार तथा इस सभा में उनके बहुत से समर्थक मौजूद हैं। यही कारण है कि जमाखोर तथा जानबझकर कीमतों के बढ़ाने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि वास्तव में थोक व्यापारी ही जमाखोरी करते हैं और यही वे लोग हैं जो काले धन वाले व्यक्तियों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सरकार जमाखोरों के विरुद्ध ग्राम पंचायतों की सहायता ले सकती है। भारत की, साम्यवादी पार्टी के 2 लाख सदस्य तथा अन्य दलों के सदस्य भी इस अभियान में सरकार की मदद करने के लिये तैयार हैं। परन्तु सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती।

राज्य व्यापार के आरम्भ हो जाने के बाद भी सरकार को यह समझना चाहिए इस समय साठेबाजी के विरुद्ध विधान बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार को तत्काल उत्पादकों से सीधे खरीददारी के सम्बन्ध स्थापित कर लेने चाहिए। राज्य व्यापार और मूल्यों को ठीक प्रकार से निर्धारित करके ही हम स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें गैर सरकारी क्षेत्र को उचित ढंग से व्यवहार करने पर बाध्य करना चाहिए। यदि ऐसा न हो सके तो प्रस्तावित खाद्यान्न निगम स्थापित करके मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए। मेरे विचार में इन सब बातों के प्रति सरकार का व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण है। इस उपेक्षा का सबसे बड़ा सबूत खाद्य तथा कृषि मंत्री का भाषण है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल व्यापारियों के मिल कर सरकार के लिए यह विश्वास संकट पैदा कर रहे

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

हैं। क्या आज जो देश में संकट की स्थिति बन गयी है उसे विरोधी पक्ष ने बनाया है? स्वयं खाद्य मंत्री ने स्वीकार भी किया है कि यह सब व्यापारियों ने किया है। जो लोग दोषी हैं, वे बिना सजा पाये छूट जाते हैं। दिल्ली, बम्बई, और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में देश के शत्रु अपना काम कर रहे हैं परन्तु सरकार भी नहीं कर सकती। मेरा स्पष्ट निवेदन यह है कि यदि सरकार आजकल जो स्थिति चल रही है, उसे ठीक नहीं कर सकती, तो इसको सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं।

मंत्री महोदय का कहना है कि आन्दोलनों से कुछ लाभ नहीं है। इसके द्वारा कुछ शरारती तत्व सरकार के विरुद्ध वातावरण निर्माण करते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल आन्दोलन के लिए आन्दोलन चलाये। जहाँ तक आन्दोलनों का सम्बन्ध है मेरा कहना है कि जनता का यह विश्वास है कि केवल आन्दोलनों अथवा संघर्ष के द्वारा ही पदासीन वर्ग के लोगों के हृदय में और उन लोगों के हृदय में, जिनके साथ इस वर्ग ने साठ गांठ कर रखी है, ईश्वर का भय उत्पन्न किया जा सकता है। कितने खेद की बात है कि मंत्री महोदय सारे संकट का उत्तरदायित्व विरोधी दलों पर डाल रहे हैं। यह सरकार की असफलता का प्रतीक है, और कुछ नहीं। और स्पष्ट बात यह है कि लोगों का इस सरकार के प्रशासन में से विश्वास उड़ गया है।

खाद्यान्नों की कीमतें तो इस प्रश्न का एक अंग हैं, अन्य दिशाओं में भी कीमतें निरन्तर बढ़ी हैं। हमारे आयोजन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि इसका कोई उपचार किया जाय। वास्तव में जो किसान है उसे तो ठीक मूल्य प्राप्त होता नहीं और विचोलिये सब कुछ ले जाते हैं। मेरा निवेदन है कि खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि को राशन व्यवस्था और नियन्त्रणों की प्रभावशाली व्यवस्था के द्वारा ही रोका जा सकता है।

यह खेद की बात है कि सरकार अपने अन्दर का भ्रष्टाचार भी समाप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस की महानता आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो रही है। केन्द्रीय सरकार ने केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में और लगभग सभी जगह इस प्रकार से व्यवहार किया है जिससे पता चलता है कि वह अपने भीतर का भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी है। मंत्रिमंडल के भीतर कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिन पर गृह-मंत्री द्वारा चलाये गये सदाचार आन्दोलन का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू करके कोई बुद्धिमत्ता का सबूत नहीं दिया गया। यह राजनीतिक अनैतिकता का द्योतक है। केरल में जो कुछ हुआ है उससे प्रत्येक देश वासी को लज्जा आती है। राजनीतिक हेर फेर करने वालों के बारे में केन्द्रीय सरकार को पूरी जानकारी रही है। छः राज्यों के मुख्य मंत्री डांवाडोल हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यहां केवल उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया जाय जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सन्थानम समिति के प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जाना चाहिए। इस प्रतिवेदन की सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मेरा यह भी आग्रह है कि इसके क्षेत्राधिकार को भी और व्यापक बनाना चाहिए। दास आयोग पर भी और आगे कार्यवाही

की जानी चाहिए। सरकार द्वारा यह प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए कि गलत काम करने वालों को बचाया जाय। मुझे यह भी लगता है कि शास्त्री सरकार पुराने रास्ते को छोड़ रही है। तथा कथित चकबंदी के तर्क के द्वारा देश के आर्थिक विकास को दिशा को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह भी डर है कि श्री जवाहरलाल जी ने जो लक्ष्य चौथी योजना के लिए निर्धारित किये थे, वे भी हटा दिये जायें। विकास के काल में गरीबी दूर करने का यह कोई उपाय नहीं है।

मुझे यह भी लगता है कि लघु उपक्रमों और अधिक सघन आर्थिक प्रभाव पैदा किये जा रहे हैं। विदेशी सहायता से हम हमेशा संकट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं श्री शास्त्री पर भी दोहरे व्यक्तित्व का आरोप लगाता हूँ। एक ओर वह जवाहरलाल जी के रास्ते पर चलने का दम भरते हैं परन्तु साथ ही वह योजना के आधार भूत विचार को ही बदल देना चाहते हैं। श्री जवाहरलाल ने स्वयं कहा था कि किसी कठिनाई का सामना करने के लिए आपको निरन्तर प्रयत्न करना होता है। परन्तु लगता है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री इसे भूल रहे हैं। इसी कारण हम पी० एल० 480 पर आश्रित हो रहे हैं। इधर भारतीय अर्थ व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। श्री नेहरू ने आधारभूत बातों को नहीं बदला था, परन्तु अब उन्हें बदला जा रहा है। विदेश नीति में भी इसी तरह परिवर्तन हो रहे हैं। प्रधान मंत्री नेहरू हमेशा प्रधान मंत्री सम्मेलन में देश की शान को ऊंचा करते थे परन्तु श्री कृष्णमाचारी देश का सिर नीचा करके आये।

मेरा कहना है कि जब हमारे वित्त मंत्री एक अन्य मंत्री के साथ राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के लिए गये तो वहां उन्होंने अफ्रीकी जनता के अधिकारों के बारे में बड़ी नरम नीति अपनाई। यही कारण है कि लन्दन में हुए सम्वाददाता सम्मेलन में तथा राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भी जनरल आयूब अफ्रीकी-एशियाई जनता के हित चिन्तक होने का दिखावा करने में सफल हो सके। हमारे प्रतिनिधि वहां से हमारे लिए जो चीज प्राप्त करके लाये वह देखने में बहुत अच्छी प्रतीत नहीं होती थी। अन्त में मेरा कहना है कि यदि श्री लाल बहादुर शास्त्री और उनके साथियों ने अपना उत्तरदायित्व न समझा तो देश का 'खुदा ही हाफिज' है।

श्री खाडिलकर (खेड) : गत वर्ष आचार्य कृपालानी ने भी अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और प्रस्ताव के समर्थन करने वाले परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग थे। अब भी लगभग उसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव आया है। गत बार साम्यवादी दल इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था। उन्होंने श्री नेहरू के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया था। इस बार स्वतन्त्र दल ने अविश्वास प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। शायद उसका यह विचार रहा हो कि ऐसा करके वह सरकार को अपने रास्ते पर ले आयेंगे। यह वह स्थिति है जिसमें हम अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

श्री मुकर्जी की बातें सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। स्थिति यहां तक पहुंच गयी थी कि दक्षिण पंथी साम्यवादी लोग कांग्रेस सरकार के साथ संयुक्त सरकार बनाने को तैयार हो गये थे। और श्री मुकर्जी इस दक्षिण पंथी लोगों के प्रतिनिधि है।

श्री दाजी : यह बात गलत है हमने कभी कांग्रेस सरकार से मिलकर सरकार बनाने का सुझाव प्रस्तुत नहीं किया ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

आज की स्थिति में स्वतन्त्र दल सरकार को कुछ समर्थन देने को तत्पर है । यह समर्थन सरकार के लिए कहां तक लाभदायक सिद्ध होगा ? इस समर्थन से क्या हम श्री जवाहरलाल नेहरू की नीति का पालन करने में दृढ़ रह सकेंगे । परन्तु यह तथ्य है कि स्वतन्त्र दल के नेता हर्षेण नेहरू जी की नीति की निन्दा करते चले आ रहे हैं । अतः मेरा निवेदन है कि हमें इन लोगों के समर्थन को बड़ी सतर्कता से लेना चाहिए । मेरा विचार है कि हम मामलों को मिला रहे हैं । अभी हाल राष्ट्रपति ने नीति स्पष्ट की है । हमारी मूल नीति यह है कि देश में पूंजीवाद का विरोध और विदेशों में साम्राज्यवाद का विरोध । हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमने देश की स्वतन्त्रता के लिए जो संघर्ष किये हैं, उनके आधार पर ही इस नीति का निर्माण किया गया है । कहीं पर भी संसदीय संस्थायें स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद तक 17 या 18 वर्ष तक कायम रही हैं । इस स्थिति के कारण क्या है, यह किसी से अज्ञात नहीं है । हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमारी संस्थाओं के लिए लोक-तंत्रीय नींव डाली है । उन्हें इस विकास शील संसार का अच्छा अनुभव था । उन्होंने ही सारे विश्व के समक्ष स्वतन्त्र राष्ट्रों के सह अस्तित्व और समाजवाद के प्रश्न मुख्य रूप से प्रस्तुत किये थे । आज हम सभी स्तरों पर लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं । विकेन्द्रीकरण का क्रम चल रहा है ।

श्री दांडेकर का कहना था कि हमें केवल कृषि उत्पादन पर ही सारे साधन केन्द्रित करने चाहिए । इसका मतलब यह है कि देश को पिछड़ा हुआ बना ही रहना चाहिए । परन्तु स्थिति की मांग यह है कि हमें अनिवार्य रूप से आगे बढ़ना चाहिए और जो भी सम्भव परिश्रम हो उसके लिए करना चाहिए । कठिनाइयों और तूफानों का सामना तो करना ही पड़ता है, परन्तु हमें पश्चिम राष्ट्रों से पीछे नहीं रहना है । यह बात ठीक है कि हमें व्यापारों का आयात कम करना चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि यह दावा करना उचित नहीं है कि सरकार ने गलतियां नहीं की हैं । वास्तव में दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि गलतियां नहीं होनी चाहिए । और इस समस्या को दल की नीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए । हमें नियन्त्रणों की नीति पर नहीं चलना चाहिए । मैं खाद्य मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि वह अखिल भारतीय खाद्य नीति और अखिल भारतीय मूल्य नीति बनाना चाहते हैं । मुझे इस बात की आशा है कि सभी विरोधी दल इस दिशा में उनके प्रयत्नों में पूरा सहयोग देंगे ।

इस के अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि हमें व्यापारियों की सट्टेबाजी और जमा-खोरी की पुरानी प्रथा को सहन नहीं करना चाहिए । हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को राहत का कोई गलत आश्वासन न दिया जाय । संकटों से हमें नहीं घबराना चाहिए । भारत जैसे देश के विकास के लिए संकटों का सामना तो करना ही होगा । इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है । मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार एक नैतिक समस्या के साथ साथ एक सामाजिक समस्या भी है । सदाचार और अन्य बातों से अनुकूल वातावरण निर्माण होता है, वहां तक तो ठीक है । पर उससे इससे इन समस्याओं का

कोई स्थायी उपचार नहीं होता। केवल इतने कह देने मात्र से अथवा मान लेने से कि हम भ्रष्ट हैं, इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता। मैं नम्रता पूर्वक यह आग्रह करूंगा कि इसके सम्बन्ध में हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान स्थिति में यह बहुत ही आवश्यक है कि शांति और व्यवस्था कायम रखी जाय। लोकतंत्रीय संस्थाओं को उचित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से सहकारिता तथा प्रतियोगी तत्वों में पूर्ण ताल मेल रखा जाना चाहिए। हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अभी संगठन और एकता का काम पूरा नहीं हुआ है। हमें आने वाली संकटपूर्ण समस्याओं से दो चार होना है। अतः इस कार्य में गड़बड़ी करने वालों को दड़ी सख्ती से दबाना होगा।

हमें श्री नेहरू द्वारा स्थापित परम्पराओं पर गौरव करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया उस पर हम गर्व कर सकते हैं। केवल तटस्थता, शान्ति, समाजवाद तथा लोकतंत्र ही नहीं प्रत्युत अपनी विचारधारा की एकता भी कायम रखनी है। यदि हम नेहरू के प्रति वफादार हैं तो हमें लोगों के साथ किये गये अपने वायदों को याद रखना चाहिये।

श्री अन्सार हरवानी (बिसोली) : इस बार जब 50 माननीय सदस्यों की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि श्री कृपलानी उनके साथ नहीं हैं। मैंने श्री डांडकर का भाषण सुना है, उन्होंने कहा कि इस देश में गत 17 वर्षों से केवल एक ही व्यक्ति का राज्य चलता रहा है। मेरा निवेदन है कि जिस दल के साथ उनका सम्बन्ध है, उसकी न ही तो कोई नीति है और न ही कोई कार्यक्रम है। बस वे केवल कांग्रेस का विरोध करते हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री हैं परन्तु वह उसी महापुरुष की ही परम्पराओं को बनाये रखेंगे जिसने इस देश का निर्माण किया है।

यह कहना गलत है कि यह सरकार नेहरू जी की नीति को छोड़ रही है। ऐसा करके तो वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। श्री बनर्जी ने फरमाया कि हम सब इस बात में सहमत हैं कि यह सरकार समाप्त हो जानी चाहिए। पर उनकी इस आकांक्षा के बावजूद भी यह सरकार समाप्त नहीं होगी। यह सोचना गलत है कि पदासीन दल में किसी प्रकार की फूट है। यह एक चट्टान की तरह दृढ़ है। और यह तो खेद की बात है कि प्रतिपक्षी दलों में कोई एकता नहीं है। वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार केवल 3 मास बाद सत्तारूढ़ हुई है। इस अवधि में देश की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। और यह आश्चर्य की बात है कि विरोधी दल इसका आरोप लगा रहा है। सरकार साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है और पूरे दृढ़ निश्चय से कार्य कर रही है। साम्प्रदायिक दंगों में मदद और विशेष रूप से कलकत्ता की स्थिति को काबू में लाने के लिए गृह मंत्री द्वारा जो कार्य किया गया वह बहुत ही सराहनीय है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि खाद्यान्न सम्बन्धी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए। पर एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मामला सुधर नहीं सकता।

भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है, यह नई बात नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में असफल रही है। सरकार इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है और

[श्र अन्सार हरवान]

अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। सरकार ने तीन दिन में ही दास आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। भारत बन्ध, दिल्ली बन्ध और महाराष्ट्र बन्ध इससे तो खाद्य स्थिति सुधरेगी नहीं। इसके लिए तो कोई रचनात्मक कार्य करना होगा। कांग्रेस के नेतृत्व से देश हमेशा शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : श्री नि० चं० चटर्जी उच्चतम न्यायालय के वकील हैं। उनके भाषण को सब ने बड़े ध्यान से सुना है। श्री चटर्जी द्वारा वर्तमान अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में बताये गये कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को सहमत होना पड़ता है। उनका यह कहना ठीक है कि सरकार हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने में असफल रही है। देश खाद्यान्नों के आधार पर बुरी तरह निर्भर है और गैर सरकारी एकाधिकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मूल्य को बढ़ने से रोकने, जान और माल की सुरक्षा करने, निर्वाचनों में निष्पक्षता बनाये रखने, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करने तथा देश की संघीय अखण्डता को बनाये रखने की दिशा में हमें नितान्त असफलता का मुंह देखना पड़ा है। श्री चटर्जी ने ये उपरोक्त 8 कारण बताये हैं जिनके आधार पर इस मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हमारा यह मंत्रिमंडल केवल तीन मास पुराना है, अतः पुरानो सरकार की असफलतायें इसके जिम्मे नहीं डाली जा सकती। इतना जरूर है कि प्रधान मंत्री ने अपने पद पर आते ही कहा था कि उनकी सरकार पुरानी सरकार की नीति पर दृढ़ रहेगी। मेरे विचार में भी सरकार अपने बहुत से दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रही है।

बहुत से ऐसे उत्तरदायित्व जो कि संविधान के उपबन्धों के कारण सरकार पर हैं, सरकार उनको भी निभाने में असफल रही है। अनुच्छेद 343 में उपबन्ध है कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी जिसकी लिपि देव नागरी होगी। अंग्रेजी को सरकारी कार्यों के लिए केवल 15 वर्षों तक प्रयोग करने की बात थी। इस अवधि में हिन्दी को विकसित करने का प्रश्न था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस समूची अवधि में हिन्दी के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की सर्वथा उपेक्षा की है। मेरे विचार में अंग्रेजी को निरन्तर बनाये रखना भारत को अपने ढंग से पूर्ण प्रगति करने की मांग में स्थायी बाधा है। इसके अतिरिक्त जिस संविधान के अन्तर्गत चुनाव हुए हैं और वर्तमान सरकार का अस्तित्व सामने आया, उसकी भावना के प्रति भी सरकार की बेवफाई का आरोप सिद्ध होता है। पिछले 17 वर्षों में सरकार ने संविधान में 17 बार संशोधन किये हैं।

इसके अतिरिक्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और गैर सरकारी सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में जो अनुच्छेद है उनका सर्वथा उल्लंघन किया जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ कि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतन्त्रता के मूलभूत अधिकार अब नहीं रहे हैं। संशोधित खंड के 2 से 5 तक के उपखंडों में निर्दिष्ट मामलों के बारे में कभी मूल अधिकार रहे हैं नहीं हैं। एक बात जो सर्वत्र कही जाती है यह है कि संविधान होने के बावजूद भी सरकार ने सभ्य तानाशाही ढंग के मनमाने और स्वविवेक वाले अधिकार अपनाने हैं जो कि संविधानीय विधियां बनने से पूर्व अपनाये जाते हैं। इस प्रकार संविधान एक बेकार की दस्तावेज बन कर रह गया है।

इसके अतिरिक्त मूल संविधान में यह उपबन्ध है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को उसको पर्याप्त मुआवजा दिये बिना नहीं अर्जित की जायेगी। चाहे वह सम्पत्ति सार्वजनिक

कार्य के लिए ही क्यों न ली गयी हो। मुआवजे का प्रश्न न्याय सगत है। पन्तु अन्न में लच्छे परिवर्तन कर दिया गया है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि देश में अशान्ति और असन्तोष है। लोगों में अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है। इस देश और राष्ट्र का ईश्वर ही कल्याण करेगा।

Shri R.S. Pandey (Guna) : The Opposition parties should seek verdict from the people if they want to change the present Government. By simply bringing in a no-confidence motion and levelling charges against the Government the opposition parties cannot occupy the front benches in this house. We had envisaged a 3.5 percent increase in food production in the Third Five Year Plan, but that target could not be realised. We had to import foodgrains from America under P.L. 480 agreement. If these imports had not been made, the opposition parties would have exploited the situation even to a greater degree than they have done at present. If somebody had died of starvation the opposition members would have taken out a procession of the dead body in front of the Parliament House. I can say with all the vehemence at my Command that nobody has died in the Country of starvation or because he could not procure foodgrains at such exorbitant rates. We would make all efforts in future too to see that nobody dies of starvation in this country however hard the days may be.

We are one with the opposition parties that the hoarders and profiteers should be brought to book. But they should help us in creating such condition whereby those elements could be curbed. A Commission should be appointed due to find out whether the prices have risen to inflation and if so, why. If the unaccounted money has been responsible for this abnormal increase in prices of essential Commodities, this should be brought into the open and strong action should be taken towards this end.

We have to approach the problem of foodgrain production with a scientific mind. We have realised that with the present scientific apparatus we have not been able to achieve our target of foodgrains output. The increase in population has also been responsible for the present crisis along with the shortfall in production. With the announcements of the food Minister in this House all our doubts have been dispelled. The production of foodgrains would be taken in hand on a war footing and agriculture would be regarded as a basic industry. A Commission will also be appointed to enquire into the prices of agriculture Commodities and fix remunerative prices for the farmers. All these steps would enthuse the farmers to increase their output. The opposition parties should welcome the steps taken by the Government to bring down the prices.

Shri U. M. Trivedi has criticised our Prime Minister in very harsh words and has alleged that he has sent Shri Jaya Prakash Narayan to Kashmir to make a present of Kashmir to President Ayub of Pakistan. This charge is quite baseless. It has been stated by the Government of India time and again that their stand in regard to Kashmir is irrevocable and that Kashmir is an integral part of India. So far as Shri Jaya Prakash Visit to Pakistan is concerned, it has no connection whatsoever with the Government of India.

In our Third Five Year Plans, the development of basic industries side by side with agricultural and small industries has been envisaged, which was an imperative. We have to electrify the villages because that would be conducive to the setting up of cottage or village industries in the rural areas. We

[Shri M. M. Trivedi]

have to coordinate the development of all the industries big and small—so that the country can make progress in all fields.

The Communist leader has said that there are differences in the members of the Cabinet. But the Communist Party itself is divided into two factions one supporting China and the other is pro-Russia. The Communist Party deliberates in a place where photos of Chou-En-Lai and Mao Tse-tung—our sworn enemies—are displayed prominently. The Communists cannot, therefore, give sermons to us. They have also criticised the role of Shri T.T. Krishnamachari at the Common Wealth Prime Ministers Conference in London. But I can say that his role there has been commendable and no departure has been made from the past conventions.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I have great regard for the Prime Minister but the manner in which the Government has functioned during the last three months has forced us to bring this no-confidence motion against the Government. If the Congress Party has a moral force, it should seek the opinion of the people on these three issues—(1) whether the people are happy, (2) whether they feel that their plight is miserable and (3) whether they are terribly unhappy. If more than two-thirds people of the country opine that they are in a miserable plight or terribly miserable plight, the Congress Government should resign from office. The frequent strikes and agitations in the country have amply demonstrated this fact. The Government cannot go on be footing the people by the force of their brute majority. The Government had run short of foodgrain stocks and to divert the attention of the people it threatened the hoarders to bring their stocks into the markets but actually no action has been taken against them. The food Minister says that the unaccounted money which is responsible for this crisis has been advanced to the farmers by the black-moneyed people. If that is so, Government can ask the farmers not to return that money to them. But nothing is being done and in U.P. the people are starving for want of foodstuffs and the Centre has not been able to meet their demand.

Even in a department like the Defence Minister crores of rupees are being wasted without any preplanning. I have a concrete case in view regarding the opening of an A.S.c. Centre in Alwar. That Centre is now being closed after colossal waste of money on the construction of buildings for the Centre. If a judicial enquiry is instituted in this case many startling things would come to light.

The states are blaming one another for the flooding of areas in their states and the Centre has been watching the situation quite helplessly. The way the income-tax returns are being demanded by the Income-tax Department of the Finance Ministry from the mineral exploration industry, the day is not far off when the industry will go into complete liquidation and this would affect the revenues of the states adversely. Replies to the suggestions are not sent even in three or four months time.

The Congress has asked even the Swatantra Party members to join their ranks as has happened in Bihar. This is nothing short of political corruption. The Congress Party has been given party tickets to the persons against whom charges of corruption etc. have been levelled. The Congress men plead for the prevention of corruption here but outside they encourage its spread. The people are now reacting to these things sharply in every state.

All the opposition parties should merge into a single unit and form a formidable opposition to the ruling Party to fight elections. If we fail to achieve this unity, the Congress alone should be left in the arena to fight elections all alone for five years. so that the Congress Party may alone be held responsible for the slaughter of democracy in the country.

श्री बाकर अली निज़ा (वारंगल) : विरोधी पक्ष के सदस्य जोरदार शब्दों में कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। श्री चटर्जी ने शरणार्थियों के पुनर्वास की चर्चा करते हुए सरकार की आलोचना की। परन्तु संसार के अन्य भागों में युद्ध के बाद लाखों लोग शरणार्थी बने जिन का पुनर्वास करने में 10 वर्ष लग गये। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी संख्या में शरणार्थी क्या कभी किसी देश में आये थे? और क्या कोई ऐसा देश है जिसने बिना किसी अन्य अभिकरण की सहायता के उनके पुनर्वास का भार सम्भाला हो? हमारे देश में जिस सहानुभूति से यह काम किया जा रहा है वह सराहनीय है।

श्री जयप्रकाश नारायण मिशन के पाकिस्तान जाने पर भी कड़ी आलोचना की गयी। मैं स्वयं चाहता हूँ कि हमारी नीति दृढ़ होनी चाहिए परन्तु यदि युद्ध के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हम काश्मीर की समस्या का समाधान कर सकें तो इस में कोई बुराई नहीं होगी नागालैंड के मामले में हमने देखा कि माईकल स्काट समस्या के सन्तोषजनक हल करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। इसी तरह श्री जयप्रकाश नारायण के वहाँ जाने का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी मूल नीति से हट रहे हैं। श्री चटर्जी चाहते हैं कि प्रधान मंत्री इस बात की गारंटी दें कि काश्मीर के किसी भाग को भारत से अलग नहीं होने दिया जायगा। यह कथन निस्सार है चूंकि भारतीय संविधान के अनुसार देश के किसी राज्य क्षेत्र को देश से अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वयं संसद् इस बात का फैसला करेगी और उसके लिये संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। इसलिये यदि हम अपनी नीति पर दृढ़ रहते हुए चीन और पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध कायम करना चाहें तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। हमें अपनी समस्याओं को एशिया में शान्ति एवं स्मृद्धि के प्रसंग में देखना है।

भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए विरोधी पक्ष के सदस्य आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले पूंजीपतियों से चन्दे ले कर भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। परन्तु हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि वर्तमान चुनाव पद्धति के अनुसार यदि किसी दल की ओर से चुनावों पर रुपया खर्च नहीं किया जाता तो चुनाव लड़ने कठिन होंगे। इसलिये चन्दा लेना आवश्यक हो जाता है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये हमें चुनावों सम्बन्धी होने वाले खर्च में कमी करने के उपाय ढूँढ़ने चाहिए।

श्री दाण्डेकर ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। यदि चुनावों के मामलों में भ्रष्टाचार होता है तो चुनाव न्यायाधिकरणों द्वारा उन में सुधार लाया जा सकता है। यह कोई नहीं चाहता कि चुनावों के मामले में भ्रष्टाचार हो। उन्होंने सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार की चर्चा भी की। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार नहीं है?

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जिस ने पिछले 17 वर्षों में लोकतंत्र को बनाये रखा और इसका श्रेय हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री और कांग्रेस

[श्री बाकर अली मिर्जा]

दल को है। यह एक धर्मनिर्पेक्ष राज्य बना हुआ है यही एक बड़ी सफलता है। कई प्रकार के खतरों के बावजूद भी हम तटस्थता की नीति पर चल रहे हैं यह भी एक महान सफलता है। गलतियाँ तो होती ही हैं परन्तु पिछले 17 वर्ष से कांग्रेस सरकार महान् कार्य कर रही है। हमारी नीयत साफ है और हमारे उद्देश्य निश्चित है और हम दृढ़ता से अपने मार्ग पर चल कर सफलता प्राप्त करेंगे।

श्री अल्वारेज़ (पंजिप) : मैं प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। वर्तमान खाद्य संकट हमारी सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण पैदा हुआ है। इस सरकार की सब से बड़ी असफलता यह है कि इसने देश की जनता के सामने कोई राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं रखा। इसीलिये आज आय आम जनता के जीवन निरुद्देश्य प्रतीत पड़ते हैं।

वर्तमान संकट की प्रक्रिया स्वाधीनता काल से आरम्भ होती है। किसी भी दिशा में समन्वय की भावना नहीं पाई जाती। यही कारण है कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब अधिक गरीब। इसी कारण हमारे सामाजिक जीवन में तनाव पाया जाता है। चीनी आक्रमण के समय हम ने देखा कि किस तरह हम प्रत्येक क्षेत्र में असफल रहे। मुझे याद है उस समय लोग प्रतिरक्षा समितियों में स्थान प्राप्त करने के लिये बैचन थे परन्तु जब से नागरिक रक्षा समितियाँ बनी तब से अब तक किसी भी राज्य में ऐसी समितियों की एक भी बैठक नहीं हो पाई।

भ्रष्टाचार एक भीषण रोग का लक्षण मात्र है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये हमें राजनीतिक, औद्योगिक एवं प्रशासनिक जीवन में एक निश्चित स्तरों की रक्षा करने और उन्हें बनाये रखने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। परन्तु कांग्रेस जो कहती है वह करती नहीं है। बहुत सी त्रुटियों के लिये स्वयं कांग्रेस दल दोषी हैं।

आज हमारी प्रशासन की स्थिति क्या है। कई राज्यों के मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार के लिये दोषी पाये गये हैं। यदि कुछ मंत्रियों आदि का त्यागपत्र देने के लिये कहा गया तो यह विरोधी पक्ष वालों द्वारा आग्रह किये जाने पर ही हुआ। आज शायद एक भी मुख्य मंत्री ऐसा नहीं है जो दोषारोपण से बचा हुआ हो।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन]
[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

अब आप सरकार की नीति की बात को देखें। भुवनेश्वर में हमें बताया गया कि सरकार का उद्देश्य देश में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना करना है। परन्तु मेरा विश्वास है कि इस सरकार का उद्देश्य न कभी समाजवाद था और न अब है। कांग्रेस किसी सिद्धान्त पर स्थिर नहीं रहती। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि सरकार की नीति एक बीच का मार्ग अपनाने की है। परन्तु जो सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है वह बीच का मार्ग कैसे अपना सकती है। इस बीच वाले मार्ग की घोषणा करने से सरकार समाजवादी समाज की स्थापना के सिद्धान्त से कहीं दूर चली गयी है। समाजवाद का मुख्य तत्व समता है परन्तु यह सरकार समता में विश्वास नहीं रखती।

स्वतंत्र दल वालों ने इस बात को भांप लिया था और देख लिया था कि यह सरकार अपने उद्देश्य से परे हट रही है इसीलिये उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।

खाद्य समस्या पर हम ने तीन या चार दिन तक बहस की। खाद्य संकट देश में तब तक बना रहेगा जब तक सरकार बहुत ज्यादा सुधार नहीं लाती। जितना अनाज देश में पैदा होता है उस का आधे से भी अधिक भाग अमरीका से आयात किया गया है। अनाज की स्थिति बहुत शरमनाक और दुखद है। हमारे वित्त मंत्री ने टोकियो में कहा कि हमारे द्वारा दिये जाने वाले ऋण की समय-सूची पुनः नियत की जाये। यह भीख मांगने के बराबर है। सरकार ने जिन नीतियों को अपनाया उनके कारण हमारे देश को शरमसार होना पड़ा है। सरकार की आर्थिक नीतियां त्रुटिपूर्ण हैं और इन में सुधार होने की कोई आशा नहीं है।

हमारी मुद्रा सम्बन्धी नीतियों के परिणाम बहुत घातक हुए हैं। मैंने बार बार कहा है कि सरकार मुद्रा के चलन को बन्द करे परन्तु वित्त मंत्री महोदय ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। खाद्यान्नों पर अनुसूचित बैंकों द्वारा अक्टूबर 1963 में 49 करोड़ रुपया अग्रिम धन के रूप में दिया गया जो मई, 1964 में बढ़ कर 141.70 करोड़ रुपये हो गया। इस का परिणाम यह है कि जमाखोर अनाज का संग्रह करके लोगों का खून चूसते हैं। यह रक्षित बैंक एवं सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। सरकार की मुद्रा संबंधी नीति पूर्णतः असफल रही है।

सरकार ने जान बूझ कर एकाधिकार और धन के केन्द्रण के लिये प्रोत्साहन दिया है। महालानबिस समिति के प्रतिवेदन से यही सिद्ध होता है।

सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्यों को कम बनाये रखा है जब कि इन्हीं उत्पादों के आधार पर चलने वाले उद्योग लाभ उठा सकें। उदाहरणार्थ आप चीनी उद्योग को देखें। जब तक उत्पादकों को गन्ने के उचित मूल्य नहीं दिये जाते तब तक जीनी का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार किसानों को उन उत्पादों के उचित मूल्य मिलने चाहिए जिन के आधार पर उद्योग चलते हैं।

यदि हम चाहते हैं कि समाजवाद लायें तो उद्योगों के विकास के साथ साथ ही सामाजिक विकास का होना आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ आर्थिक एवं हर प्रकार की विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

चूंकि उपर्युक्त क्षेत्रों में सरकार पूर्णतः असफल रही है और इन कारणों से देश में उचित प्रकार से विकास नहीं हो पाया इस लिये मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होता है। हमें इस बात का निरन्तर ध्यान रहा है कि हम यह समझें कि आखिर विरोधी पक्ष क्या चाहते हैं। विशेषरूप से उन हालात में जब कि वे अल्प संख्यक हैं। अविश्वास प्रस्ताव का संसदीय अर्थों में महत्व तब ही होता है जब सरकार का बदला जाना हो, पर वर्तमान अवस्था में ऐसी स्थिति तो है नहीं। फिर भी हमें इसका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरे विचार में यदि विरोधी पक्ष कोई विशेष कार्यक्रम

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

प्रस्तुत नहीं करता जो कि सरकारी कार्य के विकल्प के रूप में लिया जा सके तो अविश्वास के प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं रहता ।

अतः मेरा निवेदन है कि जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं और जो कुछ भी कहा गया है, उनका परीक्षण किया जाना चाहिए । सब से प्रथम मैं श्री हीरेन मुकर्जी की बातों को लेता हूँ । उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नेहरू के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं । मेरा विचार है कि यह कहना कि वर्तमान प्रधान मंत्री जी श्री नेहरू द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे बिल्कुल निराधार और काल्पनिक बात है । हमें यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि कांग्रेस दल में कोई व्यक्ति स्वर्गीय प्रधान मंत्री को समझ पाया है और उनके दिखाये हुए मार्ग पर चल रहा है तो वह वर्तमान प्रधान मंत्री है । यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार अपनी सुनियोजित औद्योगिक तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी योजना पर नहीं चल रही है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कभी कभी किसी विशेष बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता पड़ती है परन्तु मूल रूप में पुरानी नीति ही चल रही है ।

जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है हम सभी जानते हैं कि देश में खाद्यान्नों की कमी है । परन्तु कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होता है । गत 11-12 वर्षों के आंकड़े हमारे समक्ष हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि, अर्थात् प्रति व्यक्ति के खाद्यान्न उपयोग में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है । और यह भी ठीक ही लगता है कि यह वृद्धि अवश्य निर्धन वर्ग में हुई होगी । इसमें सन्देह नहीं है कि उपभोग स्तर में और वृद्धि होगी क्योंकि पहले लोम मुखमरी की हालत में जीवन निर्वाह करते थे । यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि इस स्तर में वृद्धि हुई है ।

इस के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी आर्थिक प्रगति हुई है । पंजाब और राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कमी वाले राज्य थे परन्तु अब वहां बहुत कुछ है । रेलवे वैननों से इस बात का पता चल जाता है । किसानों को दी जा रही बिजली जोकि उन्हें सस्ते दरों पर दी जाती है, काफी मात्रा में उपयोग होती है । ग्रामीण क्षेत्रों में डाकयंत्रों की संख्या 272 प्रतिशत बढ़ गयी है । पहले चीनी का जितना उपभोग होता था उससे अब उपभोग 172 प्रतिशत हो रहा है ।

अब मैं श्री चटर्जी की बातों पर आता हूँ । हमें इस बात पर गर्व है कि देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं । हम ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की है और लोकतंत्र की नींव डाली है । आज इसी कारण संसार हमारी ओर स्पर्धा की दृष्टि से देख रहा है । हम ने इस देश में लोकतंत्र का बहुत ही ऊंचा स्तर स्थापित किया है । जो लोग सत्तारूढ़ हैं वे हमेशा इस बात को ही महत्व देते हैं कि लोकतंत्रीय तरीकों को ही महत्व दिया जाय । ब्रिटेन में जो भी सरकार सत्तारूढ़ होती है वह अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर चुनाव करवाती है । किन्तु हमारी सरकार ने चुनावों के लिए एक अवधि निर्धारित कर रखी है । हम ने आपात का भी उल्लेख किया है । कहा गया कि इसे हटा दिया जाय, क्योंकि पदासीन दल इसका ठीक उपयोग नहीं कर रहा । परन्तु यह बात गलत है ।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि गत तीन महीनों से सरकार इस समस्या के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। गृह-कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। यह ठीक है कि मंत्रालय कुछ विशेष मामलों को प्राथमिकता देगा, परन्तु उन्हें कार्यकारिणी तथा दल का पूरा समर्थन प्राप्त है। कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिससे हम सहमत नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, संसदीय जांच करने के लिए आयुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संस्था बनने से लोगों में विश्वास पैदा होगा। परन्तु इससे यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम समस्या की ओर समुचित ध्यान नहीं ही दे रहे। लोकतंत्र के सिद्धान्त की मांग पर दल के सदस्यों के विरुद्ध सरकार ने जो कड़ी कार्यवाही की है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

अब मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में भी कुछ कहूंगा जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा निवेदन है कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने देश के लिए ही नहीं प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी एक नई पद्धति स्थापित कर के समूचे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी तटस्थ रहने की नीति का सारे संसार पर प्रभाव पड़ा और इससे हाल ही में स्वतंत्र होने वाले सभी राष्ट्रों को लाभ हुआ है। यदि इन देशों द्वारा इस नीति का अनुसरण न किया जाता तो आज सारा दक्षिण पूर्वी एशिया साम्यवाद के चंगुल में आ गया होता। यह बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि इस नीति से संसार में तनाव कम हुआ है। अफगानिस्तान, रूस, बर्मा, लंका, नेपाल आदि देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहें।

देश इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैंने लगभग अपने मित्रों के तर्कों का उत्तर दिया है। मेरा विचार है कि देश के हित को दृष्टि में रखते हुए वे अपने व्यवहार पर पुनः विचार करेंगे और ठीक निर्णय पर पहुंचेंगे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से वही मंत्री इस नये मन्त्रिमंडल में ले लिये गये हैं परन्तु यह बात तो हम सभी जानते हैं कि उस समय उनमें सोवने और काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज की सरकार ने उत्तराधिकार में 17 वर्षों का कुप्रशासन प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त 13 वर्षों का गलत आयोजन भी इनके हिस्से में आया है। 19 हजार करोड़ रुपये को गलत ढंग से खर्च किया गया है। घाटे की अर्थव्यवस्था 1800 करोड़ तक पहुंची है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें 37 प्रतिशत बढ़ गयी हैं 9,000,000 लाख रुपये का सार्वजनिक ऋण भी इस सरकार के भाग्य में आया है। 85 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर बढ़ गये हैं। इन सब के हांते हुए भी वर्तमान सरकार केवल तीन मास पुरानी है और इसके कार्य के बारे में निर्णय करने के लिये यह अवधि बहुत कम है। यही कारण है कि स्वतंत्र पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

यह खेद की बात है कि अभी तक अपने देश की पवित्र भूमि को आक्रांता से खाली कराने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। चीनियों के इस अवैध कब्जे के प्रति सरकार उदासीन है। चीन के इरादे स्पष्ट हैं और फिर भी हम लंका के द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या चीन अपनी चौकियों को हटाने के लिये राजी है। चीन का इरादा समूचे एशिया पर छा जाने का। और भारत की आर्थिक खुशहाली और सैनिक शक्ति ही इस चुनौती का सामना कर सकती है।

[श्री प्र० के० देव]

मलेशिया-इंडोनेशिया विवाद के बारे में राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि को यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि हम मलेशिया का समर्थन करते हैं और हम किसी राज्य के आन्तरिक मामलों में किसी अन्य राष्ट्र का हस्तक्षेप महन नहीं कर सकते। सरकार मित्र देशों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में सावधानी नहीं बरत रही है। प्रबन्धी कारण है कि चीन कई क्षेत्रों में हम से आगे बढ़ गया है।

पड़ोसी राज्यों में भारत के सम्मान को बड़ा धक्का लगा है, पाकिस्तान बर्मा, लंका, पूर्वी अफ्रीका और फिजी द्वीपसमूह से भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है। यह उचित समय है जबकि सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां पर भारतीयों के साथ समान और मानवीय व्यवहार होगा और वहां की सरकार जो कुछ भी अपने कब्जे में ले उसकी पूरी क्षतिपूर्ति की जाये। यहां पर आने वाले भारतीयों को सभी सुविधायें देनी होंगी। हमें उन लोगों को काश्मीर, नेफा और अन्धमान द्वीपसमूह के पिछड़े हुए क्षेत्रों में बसाना चाहिये।

तटस्थता की नीति ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इससे हमारी एक भी समस्या हल नहीं हुई है। यह उचित समय है जबकि इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाये और इस नीति की असंदिग्धता को समाप्त किया जाये। स्वतंत्र पार्टी के नेता ने सुझाव दिया है कि यदि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं और हम सैनिक सामान पर एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते तो हमें पश्चिमी गुटों में शामिल होना ही पड़ेगा। चीनी आक्रमण के समय अमरीकी इरादे उन की कार्रवाई से स्पष्ट हो गये हैं, रूस के इरादों के बारे में हम भी अन्धकार में हैं।

सरकार ने कृषि के साथ विमाता का सा व्यवहार किया है। इस का एक उदाहरण यह है कि जबकि उद्योगपतियों को अल्युमिनियम संयंत्र के लिये 3 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, किसानों को नलकूपों के लिये बिजली 19 पैसे प्रति यूनिट पर मिलती है। फिर उसकी भू-धृति की अवधि की भी कोई सुरक्षा नहीं है। संविधान (सत्रहवां संशोधन) ने किसानों के पूर्ण स्वामित्व का अधिकार छीन लिया है। इन परिस्थितियों में अधिक उत्पादन के लिये कोई भी प्रोत्साहन नहीं रह गया है।

सरकार द्वारा पिछले जून-जलाई में अपनायी गई 149 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था के मुकाबले में खाद्यान्न की मूल्य वृद्धि को रोकने के सम्बन्ध में सरकार की उत्सुकता कम रही है। सिक्कों पर स्वर्गीय पंडित नेहरू का चित्र अंकित करना अनुचित है हम व्यक्तित्व पूजा के विरुद्ध हैं। यदि किसी का चित्र अंकित किया ही जाना है तो वह राष्ट्रपति का होना चाहिये।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए निर्भीक घोषणा और प्रयत्नों के लिये गृह-कार्य मंत्री बघाई के पात्र हैं, इस बुराई को दूर करने के लिए उनके हाथ मजबूत करने चाहिये। प्रधान मंत्री को उड़ीसा के मामले की जांच कराने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिये। इस सारे भ्रष्टाचार का कारण पर्मिट-लाइसेंस-कोटा राज है और जब तक इस राज की समाप्ति नहीं होगी, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि प्रजातंत्रवाद को जीवित रहना है, तो अनुशासनहीनता और इन अन्य सब बातों को सहन नहीं किया जा सकता। अतः मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री शीघ्रता से एक जांच

आयोग नियुक्त करें। भ्रष्टाचार परमिट-लाइसेंस-कोटा राज से पैदा होता है और किसी चीज से नहीं। स्वतंत्र दल ने मांग की है कि इस राज का अन्त किया जाये, और जैसाकि राजा जी ने मांग की है, इन लाइसेंसों और कोटाओं के वितरण के लिए एक उच्च अनुविहित निकाय स्थापित किया जाये।

सारे विश्व की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। सरकार का पहला कर्तव्य यह है कि जनता को अपनी बुनियादी आवश्यकताएं उचित मूल्यों पर मिल सकें।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमंद) : मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तावक अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। श्री चटर्जी ने जो भाषण दिया है, वह बहुत भ्रांति उत्पन्न करता है। इस का उद्देश्य केवल अपना प्रचार करना ही था। उन्होंने आपातकाल की उद्घोषणा के हटाने की मांग की है। उनके विचार में चीनी हमला इस के लिए पर्याप्त कारण नहीं है यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के मुख्य समर्थक साम्यवादी और साम्प्रदायिकतावादी हैं। श्री नि० चं० चटर्जी एक बहुत बड़े साम्प्रदायिकतावादी हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने कल जो भाषण किया था, उसमें बहुत सी बातें गलत हैं। उन्होंने मांग की है कि बहुत से राज्यों में दास आयोग जैसे आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश का भी उल्लेख किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि वहां के मुख्य मंत्री ने ऐसे आयोग की नियुक्ति का स्वागत किया है।

इसी तरह श्री संजीव रेड्डी ने त्यागपत्र दे कर जो पग उठाया था, वह भी बहुत सराहनीय था। किन्तु प्रो० मुकर्जी ने इस पर भी अनुचित आलोचना की है। श्री त्रिवेदी ने चुनाव आयोग की जो आलोचना की है, वह भी बहुत अनुचित है।

श्री प्र० के० देव ने सरकार को सलाह दी है कि उसे पश्चिमी ताकतों के साथ गठजोड़ करना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिये कि जिन देशों ने ऐसा किया है, उन में प्रजातंत्रवाद समाप्त हो चुका है और वे कहीं के नहीं रहे।

प्रस्तावक ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संकटों का उल्लेख किया है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि आज दी के साथ साथ ऐसे संकट भी आते हैं। ये संकट कोई नये नहीं हैं। मालूम होता है कि ये लोग पंडित नेहरू के स्वर्गवास हो जाने का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि स्वतंत्र दल ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। वह संभवतः यह दिखाना चाहते हैं कि आयोजन के मामले में वे प्रधान मंत्री के साथ हैं। उन्हें शायद यह मालूम नहीं कि आयोजन के मामले में पंडित नेहरू के दृष्टिकोण और श्री शास्त्री के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। बुनियादी नीति वही है।

यदि देश के पुराने इतिहास को देखा जाये, तो मालूम होगा कि पिछले 17 वर्षों में हम ने बहुत सी सफलतायें प्राप्त की हैं और यह बात विश्व के सभी निष्पक्ष पर्यवेक्षक ने मानी है। यदि हम अपने देश की तुलना अन्य ऐसे देशों से करें, जिन्होंने हाल में स्वतंत्रता प्राप्त की है, तो हम उन से कहीं आगे हैं। ऐसे देश इन्डोनेशिया, लाओस, वियटनाम, मलेशिया, बर्मा, कोरिया, पाकिस्तान सीसोन आदि हैं।

[श्री: दिद्या चरण शुक्ल]

हमें खेद है कि हमारे राष्ट्र के विकास के साथ साथ हमारे विरोधी दलों का स्तर गिरता जा रहा है। उन के कई सदस्य कांग्रेस में पुनः प्रवेश के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि विरोधी दल सस्ती शह्रत और आंदोलनात्मक दृष्टिकोण छोड़ दें, तो वे अपना और लोगों का अधिक लाभ कर सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वे अपने गलत तरीके छोड़ कर सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I rise to oppose the no confidence motion moved by Shri Chatterji. In his speech, he did not offer even a single constructive suggestion. It is well known that people can donate money to whatever political party they like, but I cannot say from where the opposition parties get that fund. Some of these parties get monetary help not only from inside the country but from outside as well. It does not lie in the mouth of the Swatantra party and the Communist party to criticize donations to political parties, when the former sings the praises of America and the latter of Russia and China.

The object of this motion is nothing else than to malign the Government, to spread discontent among the people and to do publicity for the purpose of the next elections, because they know what the result of this motion is going to be.

Shri Hiren Mukerjee spoke of the need to take action against the hoarders. I support such action, but what can be said about the Communists' attempts to foment strikes in transport, railways etc. Can such a policy help in solving the food problem of the country.

On the one hand, Shri Mukerji speaks of bringing in Communism in the country, on the other Shri Dandekar wants to usher in capitalism, these two parties are at the opposite extremes and are contradictory to each other, but they come together whenever the question of opposing the Government comes up.

Shri Mukerji referred to internal quarrels among the Congressmen, but may I ask him why the Communists fight each other. It is clear that they do not fight for the country good, but for the good of Russia or for the good of China.

While there was shortage of food in the country, some political parties and elements were talking in terms of strikes and 'bunds, such an attitude was regrettable and was against the interest of the people.

There was no doubt that there was all round improvement in the country and that impartial observers had all praised our efforts and achievements. It was unfortunate that some opposition parties refused to recognise that and were judging things only from a political point of view.

The problem of corruption was no doubt there and had to be firmly dealt with. But it was not proper to exaggerate it and use it to serve political ends.

It was an old game of the Communists to create a rift in the Congress party by praising the Prime Minister and criticising all others. They were indulging in the same tactics again but they would be surely disappointed in their design.

There could be no agreement with the view of the Swatantra party on the question of public sector undertakings. The need was only to see that the short comings of that sector were removed. It was through the enlargement of the public sector alone that the condition of the poor could improve.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 15 सितम्बर, 1964/भाद्र 24, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 15th September, 1964/Bhadra 24, 1886 (Saka).
